मध्यप्रदेश के जनसंघर्ष

आजीविका का सवाल

सीमित वितरण हेतु

जनहित में

किसान संघर्ष समिति
शहीद किसान स्मृति कुटीर, स्टेशन रोड,
मूलतापी, बैतूल–460661 (मध्य प्रदेश)
ई मेल : sunilam_swp@yahoo.com
फोन : +919425109770

द्वारा प्रकाशित

मार्च, 2012

मुद्रक :
डिजाईन्स एण्ड डाइमैंशन्स
एल–5ए, शेख सराय, फेस–2
नई दिल्ली–110017

मध्य प्रदेश में आजीविका का सवाल आज जीवन का सवाल बन चुका है। एक ओर तो सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भारी कमी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर कृषि के प्रति सरकार का बाजारवादी रवैया उसे (कृषि को) अच्छा–खासा नुकसान पहुंचा रहा है। **आज प्रदेश की दो तिहाई आबादी (जिसमें छोटे और मझोले किसान भी शामिल हैं) के लिये न्यूनतम मजदूरी की दर पर दैनिक मजदूरी करना आजीविका का सबसे बड़ा साधन बन चुका है।**

प्रदेश में 55 प्रतिशत बच्चे कुपोषण की गिरफ्त में हैं। 49 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे रहकर जीवन बिताते हैं तथा 73 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 50 फीसदी किसान कर्जदार हैं और औसतन हर किसान पर 11 हजार रूपये का कर्ज है। **यही कारण है कि प्रदेश में बीते तीन वर्शों में 6782 किसानों ने मौत को गले लगाया।**

प्रदेश में 11 प्रमुख नदियां बहती है। यह नदियां कभी लोगों की खुशहाली का कारण हुआ करती थी लेकिन आज कम्पनियों, कॉरपोरेट्स और सरकारों के मुनाफा कमाने का साधन बन चुकी हैं क्योंकि सरकारें इन नदियों पर बांध बनाकर इनका पानी बेचने का काम करने लगी हैं। नर्मदा, चम्बल, ताप्ती, क्षिप्रा, तवा, बेतवा, सोन, बेन गंगा, केन, टोंस तथा काली सिंध इन सभी नदियों के मुहानों पर आज सरकार पॉवर प्लांट लगा रही या लगाने जा रही है जिससे लाखों लोगों के सामने अपने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश की जीवनरेखा नर्मदा पर कुल 30 बड़े बांध, 145 मध्यम बांध और 3000 छोटे बांध बनाना प्रस्तावित है और अभी तक प्रदेश में मात्र चार बड़े बांधों का निर्माण हुआ है, वह भी नर्मदा घाटी के निचले हिस्से में। अब घाटी के ऊपरी हिस्से में बांधों का निर्माण प्रारम्भ किया जा रहा है। यहां यह बात भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि चार दशकों में नर्मदा के पानी में कमी आई है और मालवा–निमाड़ क्षेत्र में नर्मदा अब नदी नहीं, कमोवेश तालाब में परिवर्तित होती जा रही है।

केन्द्रीय जल बोर्ड के आंकड़े भी बताते हैं कि कुछ दशकों में नर्मदा की गहराई में 35 से 50 फीट की कमी आई है। यह सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रवाह के रुकने से गाद इकट्ठी होती है। प्रवाह रुकने का असर अब गुजरात के भरूच में भी दिखने लगा है जहां पर नर्मदा का अरब सागर में सीधा प्रवाह प्रभावित हुआ है और उस क्षेत्र की मिट्टी क्षारीय होती जा रही है। मोरवी का चीनी मिट्टी और कवेलू उत्पाद उद्योग भी मिट्टी की कमी से प्रभावित हो अंतिम सांसें गिन रहा है।

नर्मदा घाटी में मुख्य निर्मित परियोजनाएं बरगी परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, मान परियोजना तथा जोबट परियोजना है। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना, महेश्वर जलविद्युत परियोजना, लोवरगोई परियोजना तथा अपरबेदा परियोजना पर कार्य चल रहा है।

आज प्रदेश को ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 42 निजी कंपनियों के साथ 56 हजार मेगावॉट की विद्युत परियोजनाएं लगाये जाने के लिये समझौते किये हैं। अमरकंटक से खंभात की खाड़ी तक करीब 18 थर्मल पावर प्लांट लगाने की तैयारी है। जबलपुर से होशंगाबाद तक पांच पावर प्लांट को सरकारों ने मंजूरी दे दी है। इनमें सिवनी जिले के चुटका गांव में बनने वाला प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर भी शामिल है। यहां पर हम प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से यह जानने–समझने का प्रयास करेंगे कि इन परियोजनाओं ने लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया।

सरदार सरोवर परियोजना

नर्मदा पर बांधों की श्रृंखला की शुरुआत को 25 साल बीत गए हैं। इसके कारण **1.5 लाख से अधिक विस्थापित अब भी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं।** अब तक की तमाम सरकारों ने इन लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया है। जो लोग पिछले 30 वर्ष में विस्थापित हुए, उन्हें भी आज तक पुनर्वास नहीं मिला।

बरगी बांध परियोजना

बरगी बांध से मंडला, सिवनी एवं जबलपुर के 162 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें 82 गांव पूर्णतः डूब गये हैं। लगभग 12 हजार परिवार विस्थापित

हुए हैं जिसमें 70 प्रतिशत आदिवासी (गोंड) हैं। इस परियोजना में 14872 हैक्टेयर उपजाऊ भूमि तथा 11925 हैक्टेयर जंगल एवं अन्य भूमि डूब में आई है। 1974 से परियोजना का कार्य प्रारंभ होकर 1990 में जलाशय का गेट बंद किया गया **परंतु आज तक इस परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। आज फिर से विस्थापितों को चुटका गांव में परमाणु संयंत्र के नाम पर उजाड़ने की तैयारी कर ली गयी है।**

आज भी प्रदेश की सरकार इन परियोजनाओं के विस्थापितों को न्याय देने के बजाय संसाधनों की कमी का रोना रोती रहती है परंतु साथ में ही नयी–नयी परियोजनाओं की भी शुरूआत की जा रही है जिससे प्रदेश में विस्थापितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आगे हम प्रदेश में चल रही कुछ चुनिदा परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे।

मध्य प्रदेश में चल रही परियोजनाएं

अडानी पेच पॉवर लिमिटेड

बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए राज्य सरकार की कोशिशें कितनी कारगर हैं। इसका सटीक उदाहरण पेंच पावर प्रोजेक्ट है। वर्ष 1988 में इस परियोजना को शुरू करने का निर्णय लेने और प्रोजेक्ट पर साढ़े आठ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बीते 22 साल में यह प्रोजेक्ट तीन बार बेचा गया।

अब प्रदेश के ऊर्जा संयंत्रों को कोयला और बिजली बेचने वाला अडानी समूह यहां प्रोजेक्ट लगाने आगे आया है। राज्य सरकार ने 23 सितंबर 2010 को पेंच पावर प्रोजेक्ट के लिए जिस अडानी पॉवर लिमिटेड अहमदाबाद से पेंच में पावर प्लांट लगाने का अनुबंध किया है। पहले इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स और उसके बाद पेंच पावर लिमिटेड को दिया जा चुका है। इन तीनों कंपनियों से पहले मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल ही यहां 210 मेगावॉट क्षमता की दो इकाईयां लगाने की तैयारी कर रहा था। मंडल के लिए सरकार ने किसानों की 717 एकड़ जमीन अधिगृहित करने के साथ कुल 740.34 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई थी। प्रोजेक्ट लगाने के लिए भूमि की कीमत के अलावा सात करोड़ 93 लाख रुपए से अधिक अतिरिक्त राशि खर्च करने के बाद वर्ष 1991–92 में मंडल ने इस परियोजना को बंद कर दिया। बाद में इसे सेंचुरी और फिर पेंच पावर प्रोजेक्ट को दिया गया। ये दोनों कंपनियां भी यहां काम शुरू नहीं कर पाईं। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा अब

अडानी पावर लिमिटेड ने उठाया है। सरकार ने उसे जमीन भी सौंप दी है। लेकिन, बिजली उत्पादन में सात साल की अनुभवी अडानी कंपनी भी बीते एक साल से प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण की अनुमति लेने का प्रयास कर रही है।

अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू हुई **पेंच पावर परियोजना के लिए उस समय सरकार ने महज 9125 रुपए प्रति एकड़ की दर पर केवल 70 लाख में किसानों से जमीन ली थी। यही जमीन 6.34 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर पर 48.99 करोड़ में अडानी को दी गई है,** लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिला। यहां बता दें कि सरकार ने पावर प्रोजेक्टस सहित उद्योगों के लिए लगने वाली जमीन के लिए पांच लाख रुपए प्रति एकड़ के भाव तय किए हैं। इससे कम राशि अब किसानों को नहीं मिलेगी।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना

प्रदेश के छिन्दवाड़ा और सिवनी जिले में पेंच व्यपवर्तन परियोजना हेतु सन् 2003 में 543.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति म.प्र. शासन को प्राप्त हुई थी। योजना आयोग द्वारा योजना वर्ष 2006 में स्वीकृत कर दी गई। जे.बी.आई.सी. से कर्जा प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को सन् 2006 में ही प्रस्ताव भेज दिया गया। भारत सरकार ने पुनर्वास और बसावट के कार्यक्रम के लिए 101.35 करोड़ का कार्यक्रम तैयार किया। परियोजना पूर्ण करने हेतु 6 वर्ष का लक्ष्य रखा गया था अर्थात योजना 2012–2013 तक तैयार हो जानी चाहिए थी। अब तक नहर निर्माण का कार्य लगभग 50 प्रतिशत तथा बांध निर्माण का कार्य 5 प्रतिशत ही कराया गया है।

योजना के अनुसार 31 ग्रामों की 7575 परिवार प्रभावित होने वाले हैं तथा 5607.28 हैक्टेयर जमीन डूब में जाने वाली है। परियोजना के दस्तावेजों के अनुसार माचागोरा बांध पेंच नदी पर बनाया जाने वाला हैं। बांध की ऊंचाई 630.2 मीटर प्रस्तावित है। योजना से वार्षिक 96519 हेक्टियर जमीन की सिंचाई प्रस्तावित है।

रेवती सीमेंट प्लांट परियोजना

प्रदेश के सतना जिले के ग्राम पंचायत भरजुना में सन् 2003–2004 में कृशि विज्ञान केन्द्र खोलने के नाम पर किसानों की जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया गया। **किसानों को प्रलोभन दिया गया**

जिसके कारण किसानों ने सफेद मुसली, अश्वगंधा जैसी महंगी जड़ी बूटी एवं अच्छी नस्ल की खेती करने हेतु सस्ती दर पर जमीन देना भारू कर दिया और सन् 2008 में कृषि विज्ञान केन्द्र के नाम काफी जमीन हो गयी।

2010 में कृषि विज्ञान केन्द्र का **वास्तविक रूप तब सामने आया जब रेवती सीमेंट प्लांट के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। किसानों द्वारा इस जन सुनवाई का विरोध किया गया तथा आंदोलन की भाुरूआत की गयी।**

किसानों की मांग है कि उनकी जमीने कृशि विज्ञान केन्द्र के नाम पर ले कर सरकार रेवती सीमेंट को दे रही है जो की किसानों के साथ धोखाधड़ी है। 7 मार्च 2011 को ग्राम सभा शाह कोठार ने सर्व सम्मति से रेवती सीमेंट प्लांट को किसी भी कीमत पर जमीन न देने का प्रस्ताव पारित किया **(संलग्नक – 1. ग्राम सभा शाह कोठार का प्रस्ताव)** परंतु सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। किसानों का विरोध आज भी जारी है।

सुखसागर फूड प्रा. लिमिटेड परियोजना

प्रदेश के कटनी जिले का ग्राम पडुवा के किसान 4 फरवरी 2012 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे है। किसानों की मांग है कि ग्राम पडुवा के चरोखर **मद की भूमि ख. नं. 2017, 2018, 2020 एंव 2021 सरकार द्वारा सुखसागर फूड प्रा. लिमिटेड को किया गया आवंटन रद्द किया जाय तथा सुखसागर फूड प्रा. लिमिटेड द्वारा कब्जा कर ली गयी छोटे झाड़ के जंगल की भूमि ख.नं. 2036, 2014, 2022 को मुक्त करवाया जाये।**

सरकार द्वारा आवंटन चरोखर भूमि पर **सन् 2003 में सूखा राहत मद के अर्न्तगत दो लाख पैतालीस हजार रूपय में तालाब का निर्माण किया गया था तथा 2008 में रोजगार गारंटी में सघन वृक्षारोपण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया था।** किसान अपनी चरोखर भूमि को बचाने एवं इस आवंटन के दोशी अधिकारियों के विरोध में कठोर कार्यवाही की मांग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

थर्मल पॉवर परियोजनाओं का प्रभाव

थर्मल कोल पावर प्लांट से निकलने वाली राख से पानी इतना प्रदूषित हो जाता है कि इसे जानवर भी नहीं पी सकते। 500

मेगावाट के सारणी स्थित सतपुड़ा थर्मल कोल पावर प्लांट से निकलने वाली राख से तवा नदी का पानी इसी तरह प्रदूषित हो चुका है। इसमें नहाने पर लोगों की चमड़ी जलती है और त्वचा रोग हो जाते हैं। इसकी राख के निस्तारण के लिए हाल ही हजारों पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई, जबकि पहले से नष्ट किए गए जंगल की भरपाई नहीं की जा सकी है।

नर्मदा नदी की भी यही स्थिति होने वाली है क्योंकि नर्मदा के किनारे पर भी चार थर्मल पावर प्लांट लगाने की मंजूरी मिल गयी है। सिवनी जिले की घनसौर तहसील के गांव झाबुआ में बनने वाले प्लांट की क्षमता 600 मेगावॉट होगी। **निर्माण एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक इसमें प्रतिघंटा छह सौ टन कोयले की खपत होगी, जिससे 150 टन राख प्रतिघंटा निकलेगी, जबकि हकीकत यह है कि कोयले से 40 प्रतिशत राख निकलती है। इस तरह करीब 250 टन राख प्रतिघंटा निकलेगी। इसका निस्तारण जंगल और नर्मदा किनारे किया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय संकट पैदा होना तय है।**

अडानी पेंच पावर लिमि. **द्वारा अपनी रिर्पोट में कहा गया कि प्रतिवर्ष दो करोड दस लाख मैट्रिक टन राख ताप विद्युत संयंत्र से निकलेगी जिसे वे ईंट बनाने तथा सीमेंट कारखानों को सीमेंट में मिलाने हेतु बेचेंगे और बाकी की राख को एसपौण्ड (राख के तालाब) में जमा करते जायेंगे।** यहॉ प्रश्न यह उठता है कि न तो छिन्दवाडा जिले के अंदर या उसके आस पास कोई सीमेंट बनाने वाला कारखाना है और ना ही यहॉ पर सीमेंट बनाने वाला चूना पत्थर उपलब्ध है इसलिए न तो यहॉ सीमेंट का कारखाना खोला जा सकता है न ही उडने वाली राख को एकत्र करके कटनी के आस पास स्थित सीमेंट कारखानों में भेजा जा सकता है क्योंकि यह आर्थिक वाणिज्यिक रूप से केवल घाटे का सौदा होगा। ऐसी स्थिति में मात्र 10 वर्ष में 21 करोड टन राख का भंडार चौसरा ग्राम थर्मल पावर प्लांट के पास एकत्रित हो जायेंगा।

जानकारों का मानना है कि इन सब प्लांटों के स्थापित हो जाने के बाद आस–पास की खेती की जमीन पर राख की मोटी परत जमा हो जाएगी, तब यहां कोई फसल पैदा नहीं होगी। यह संकट करीब 20 किलोमीटर की परिधि की जमीन पर आता है।

ऊर्जा की वर्तमान स्थिति

देश के योजनाकार वर्ष 2012 तक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 1000 किलोवाट का अनुमान लगा रहे हैं तथा इसी हिसाब से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने वाली परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 10000 किलोवाट ऊर्जा खपत है। विकास का जो माडल हम अपनाते जा रहे हैं उस दृष्टि से अगली प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में हमें ऊर्जा उत्पादन को लगभग 2 गुना करते जाना होगा।

हमारे नीतिकार, ऊर्जा संकट से निपटने हेतु जिस प्रकार का चिंतन करते हैं उसका एक नमूना प्रस्तुत है। देश के वित्तमंत्री ने कुछ माह पूर्व अपने एक साक्षात्कार में कहा कि, उनकी नजर में आने वाले समय में जनता को पानी, बिजली, शिक्षा, आवास जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बेहतर होगा कि हमारी 85 प्रतिशत जनसंख्या शहरो में रहे। वे उपरोक्त सभी आवश्यकताओं की पूर्ति को शहरीकरण के रूप में देखते हैं।

मध्यप्रदेश में निजी कंपनियों के माध्यम से विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि के लिये 42 कंपनियों से करीब 56 हजार मेगावॉट की ताप विद्युत परियोजाएं लगाये जाने के लिये समझौते किये जा चुके हैं।

प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने के लिये किये गये प्रयासों में निजी क्षेत्र की कंपनियों मैसर्स बीना पॉवर सप्लाय कंपनी, बीना, मैसर्स एस्सार पॉवर, बैढन, जिला सिंगरौली, मैसर्स जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स, निगरी जिला सिंगरौली एवं मैसर्स बीएलए पॉवर जिला नरसिंहपुर द्वारा कार्य भी प्रारंभ कर दिये गये हैं।

वर्तमान में प्रदेश की थर्मल पॉवर प्लांट की क्षमता 2932.5 मेगावाट और 915 मेगावाट हाईड्रो पॉवर प्लांट की है। लगभग 2300 मेगावाट केंद्र और दूसरे स्त्रोतों से जुटायी जाती है, जबकि 7500 से 8000 मेगावाट की मांग म.प्र. में रहती है और सरकार लगभग 5500 मेगावाट के लगंभग बमुश्किल उपलब्ध करा पा रही है

वर्तमान में जो पॉवर प्लांट राज्य सरकार ने अपने प्रोजक्शन में दिये हैं, उसमें श्री सिंघाजी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, खंडवा 600–600 मेगावाट के दो प्रोजेक्ट जिसकी दो यूनिट जो कि दिसम्बर 2012 और 2013 मे

चालू होना बताया जा रहा है, जिसकी लागत 6750 करोड़ रूपये है, उसके काम की चाल से ऐसा लगता है कि यह प्रोजेक्ट 2018 तक भी पूरे नहीं हो सकते। इसी प्रकार सारणी के जो पावर प्रोजेक्ट जो कि 250 मेगावाट की दो यूनिट, जिसको अगस्त–2012 और नवम्बर 2012 में पूरा होना बताया गया है। जिसकी लागत 2350 करोड़ रूपये बताई गई है। इसी प्रकार दादा धूनी वाले खंडवा पावर प्रोजेक्ट जो 800–800 मेगावाट की दो यूनिट बताई गई है।

इसी प्रकार मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा 1200 मेगावॉट की श्री सिंगाजी ताप परियोजना का कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 292 करोड़ रुपये का व्यय होगा। अब तक इस पर 502 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। सतपुड़ा ताप विद्युतगृह सारणी में 500 मेगावॉट की विस्तार इकाईयों में 2500 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना का विस्तार कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना के मुख्य संयंत्रों का कार्य मैसर्स बीएचईएल द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस पर 105.83 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। अब तक इस परियोजना पर 258.13 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

इसके साथ ही 1600 मेगावॉट विद्युत क्षमता की ताप विद्युत परियोजना की स्थापना खण्डवा जिले में करने के लिये मैसर्स बीएचईएल के साथ मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी का संयुक्त उपक्रम अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। ग्राम टिकोरा टोला जिला शहडोल में सुपर क्रिटिकल तकनीकी आधारित 1600 मेगावॉट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना की स्थापना मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा करने के लिये गत 26 मार्च को प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन द्वारा 2640 मेगावॉट गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में स्थापित करने के लिये गत माह नवम्बर में समझौता किया गया था। इस ताप परियोजना से 80 प्रतिशत विद्युत मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित करने के लिये भारत सरकार से आग्रह किया गया है।

नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन द्वारा खरगौन जिले में 1320 मेगावॉट की ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। परियोजना के लिये 1750 एकड़ भूमि एवं 55 क्यूसेक जल के संबंध में राज्य शासन द्वारा सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान की गई है। साथ ही नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन द्वारा छतरपुर जिले में चार हजार मेगावॉट ताप विद्युत

परियोजना प्रारंभ की गई है। परियोजना के लिये 150 क्यूसेक जल एवं 2249.88 एकड़ भूमि की उपलब्धता के संबंध में राज्य शासन द्वारा सैद्धांतिक सहमति गत माह मार्च में दी गई है।

इसके अलावा राज्य शासन द्वारा क्रमशः 1200 तथा 1600 मेगावॉट क्षमता की चंदिया ताप विद्युत परियोजना, जिला कटनी में स्थापित करने के संबंध में प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है।

विकल्प मौजूद है

ऊर्जा उत्पादन के जिस भी माध्यम से यदि कार्बन उत्सर्जन होता है तो यह प्रदूषण पर्यावरण व ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। थर्मल पावर प्लांट्स इस दृष्टि से बदनाम भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जल विद्युत के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन थर्मल पावर प्लांट्स की तुलना में ज्यादा है। एक यूनिट बिजली बनाने हेतु जहां थर्मल प्लांट्स से 800 ग्राम कार्बन उत्सर्जन होता है वहीं जल विद्युत के लिए बने बड़े–बड़े बांधों के कारण 2145 ग्राम का कार्बन उत्सर्जन होता है। कनाडा, ब्राजील, घाना जैसे कई देशों ने अपने अनुभवों को विश्व समुदाय के सामने रखा है। देर–सवेर हमारे अनुभव भी ऐसे ही होंगे। यह लगभग सीधी बात है क्योंकि हमारी जलवायु ट्रोपिकल है। ऐसे देशों में बड़े बांधों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक होता है।

बांधों के कारण बड़े क्षेत्र डूब में आएंगे, जंगल नष्ट होंगे, भूकम्प की संभावना बढेगी, भूस्खलन होगा, जैव विविधता का नाश, जल की गुणवत्ता में कमी आदि जो होगा उसकी क्षति पूर्ति असंभव होगी।

पवन ऊर्जा को प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत मानना न्याय संगत है। 45000 मेगावाट की संभावना वाले इस क्षेत्र में ऊर्जा का उत्पादन मात्र 1267 मेगावाट है जिसमें से 1210 मेगावाट का उत्पादन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जा रहा है। ये प्रतिष्ठान अपनी आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन करते हैं। उनके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा को वे नेशनल ग्रिड को बेचना भी चाहें तो उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है। देश के 13 राज्यों में 192 ऐसे स्थल हैं जहां पवन ऊर्जा उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं। इन राज्यों में प्रमुख रूप से तमिलनाडु, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र हैं। **आज 55 से 750**

मेगावाट क्षमता के विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर उपलब्ध हैं लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर उतना नहीं है जितना कि थर्मल, न्यूक्लियर व जल विद्युत की बड़ी परियोजनाओं पर है।

सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की भांति ही अक्षय ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है लेकिन वर्तमान में सौर ऊर्जा का उत्पादन मात्र 62 मेगावाट के आस–पास ही हो रहा है। **देश में वर्ष के औसतन 300 दिन प्रचुर सौर ऊर्जा उपलब्ध है। 5000 ट्रीलियन प्रति घंटा ऊर्जा उत्पादन की संभावना इस क्षेत्र में है जो कि पूरे देश की ऊर्जा आवश्यकता से कहीं ज्यादा है।** देश में 70000 पीवी सिस्टम, 500 सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम, 509894 सोलर लालटेन, 256673 होम लाइटिंग सिस्टम व 478967 स्ट्रीट लाइट्स के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। सोलर वाटर हीटर, सौर ऊर्जा के उपयोग का सबसे प्रचलित जरिया बना हुआ है जिसमें कि 475000 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर सोलर वाटर हीटर लगाने की संभावना है। सोलर पैनल की कीमत कम करने के लिए तकनीक विकसित करना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए।

बायोमास से ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में चौथे स्थान पर है और इस क्षेत्र में विश्व समुदाय का नेतृत्व करने की पूरी योग्यता इस देश में है। कमी है तो सिर्फ हमारे रणनीतिकारों के सोच की जो कि 85 प्रतिशत आबादी को शहरों में बसाने के चिंतन से ओत–प्रोत हैं। भारत में बायोमास से ऊर्जा उत्पादन की संभावना 16000 मेगावाट की है जिसमें कि सामुदायिक बायोमास आधारित संयंत्रों से ऊर्जा उत्पादन शामिल नहीं है। वर्तमान में 630 मेगावाट उत्पादन की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। एक मेगावाट क्षमता का बायोमास संयंत्र जो यदि वर्ष में 5000 घंटे चले तो उसे 6000 टन बायोमास की जरूरत होगी।

विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा, सरकार एवं मुनाफाखोर

आजादी के बाद से भारत में अब तक साढ़े तीन हजार परियोजनाओं के नाम पर लगभग दस करोड़ लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। लेकिन सरकार को अब होश आया है कि विस्थापितों की जीविका की क्षति, पुनर्वास–पुनर्स्थापन एवं मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय कानून का अभाव है। यानि इतने सालों के अत्याचार,

अन्याय पर सरकार खुद अपनी ही मुहर लगाती रही है। तमाम जनसंगठन कई सालों से इस सवाल को उठाते आ रहे थे कि लोगों को उनकी जमीन और आजीविका से बेदखल करने में तो तमाम सरकारें कोई कोताही नहीं बरतती हैं। लेकिन जब बात उनके हकों की, आजीविका की, बेहतर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की आती है तो वहाँ सरकारों ने कन्नी ही काटी है। प्रशासनिक तंत्र भी कम नहीं है जिसने खैरात की मात्रा जैसी बांटी गई सुविधाओं में भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ा है। **इसके कई उदाहरण हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश में सैकड़ों सालों पहले बसे बाईस हजार की आबादी वाले हरसूद शहर को एक बंजर जमीन पर बसाया गया। कैसे तवा बांध के विस्थापितों से उनकी ही जमीन पर बनाये गए बांध से उनका मछली पकड़ने का हक भी छीन लिया गया। एक उदाहरण यह भी है कि पहले बरगी बांध से विस्थापित हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का एक झुनझुना पकड़ाया गया। बांध बनने के तीन दशक बाद अब तक भी प्रत्येक विस्थापित परिवार को तो क्या एक परिवार को भी नौकरी नहीं मिल सकी है।**

आजादी के बाद से अब तक हुए **विस्थापन के आंकड़े हमें बताते हैं कि सर्वाधिक विस्थापन आदिवासियों का हुआ है। नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध से दो लाख लोग प्रभावित हुए। इनमें से 57 प्रतिशत आदिवासी हैं। महेश्वर बांध की जद में भी बीस हजार लोगों की जिंदगी आई।** इनमें साठ प्रतिशत आदिवासी हैं। आदिवासी समुदाय का प्रकृति के साथ एक अटूट नाता है। विस्थापन के बाद उनके सामने पुनर्स्थापित होने की चुनौती सबसे ज्यादा होती है।

मध्य प्रदेश के जनसंघर्ष

प्रदेश की विनाशकारी परियोजनाओं के दूरगामी तथा तात्कालिक प्रभावों को जानते–समझते हुए मध्य प्रदेश में जगह–जगह पर संघर्श चल रहें हैं। यह संघर्श एक तरफ जल, जंगल, जमीन, प्रकृति तथा अपनी आजीविका एवं अस्तित्व की रक्षा के लिए हैं तो दूसरी तरफ कम्पनियों, कारपोरेट्स तथा सरकारी साजिशों और दमन–उत्पीड़न के खिलाफ हैं।

अडानी पेच पॉवर लिमिटेड विरोधी आंदोलन

अडानी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेट तथा पेंच पावर प्रोजेक्ट को लेकर मध्य प्रदेश में शुरू हुए विरोध की जड़ें करीब 25 वर्श पुरानी हैं। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड (एमपीईबी) ने 1986–87 में 5 गांव के किसानों की जमीनें डेढ़ हजार रूपए से 10 हजार प्रति एकड़ की दर पर अधिग्रहित कीं। किसानों के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, निशुल्क बिजली देने तथा पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को लागत मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराने और 3 वर्ष में ताप विद्युत गृह निर्माण का वायदा, तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से हुआ। लेकिन न तो थर्मल पावर बना न ही किसान परिवारों को रोजगार। जमीनें किसानों के पास ही रहीं और वे उसपर खेती करते रहे।

म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा थर्मल पॉवर बनाने के नाम पर छिन्दवाड़ा जिले के चौरई ब्लाक के ग्राम चौसरा, भुलामोहगांव, हिवरखेडी, धनौरा, डागावानीपिपरिया तथा टेकाथावरी के किसानों की उपजाऊ भूमि डेढ हजार से दस हजार एकड़ के भाव से मुआवजा देकर अधिग्रहित कर ली गई थी। **उस समय प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही गई। यह भी कहा गया था कि जिस भाव पर बिजली बनेगी उसी भाव पर छिन्दवाड़ा के लोगों को बिजली प्रदान की जायेगी।** किन्तु आज तक म.प्र. विद्युत मण्डल ने न तो थर्मल पॉवर बनाया न ही विस्थापित परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी। **म.प्र. सरकार ने 10 लाख रूपये एकड़ के हिसाब से किसानों से अधिग्रहित की गई भूमि अडानी पेंच पॉवर लिमि. को दे दी (संलग्लक– 2. एमपी पॉवर ट्रेडींग कॉ. लि. का आदेश)।** किसानों के पुनर्वास एवं पुनः स्थापन की समस्या के निदान के बिना ही अडानी को भूमि हस्तान्तरित कर दी। ग्राम चौसरा, डागावानीपिपरिया, टेकाथावरी, हिवरखेडी तथा भुलामोहगांव के किसानों की जमीन उनसे छीनली उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था करने को न तो सरकार है न ही [illegible]। उक्त गांव के किसान अपनी भूमि पर काबिज होकर [illegible] 20 साल से बेरोकटोक शांतिपूर्वक काश्त कर रहे हैं यही भूमि [illegible]र्जन का साधन है। **अडानी किसानों से उनकी [illegible] रहा है किसानों का साफ कहना है कि हमने अडानी को [illegible]ना के लिए जमीन नहीं दी है।**

मध्य प्रदेश तथा केन्द्र सरकार ने अडानी को छिन्दवाडा जिले में किसानों की लूट करने की पूरी छूट दे रखी है। अडानी पेंच पॉवर लिमि. को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। बगैर स्वीकृति के ही ग्राम चौसरा तथा उसके आस पास के गांव में काम शुरू कर दिया है तथा बिना अनुमति के पेड़ काटे जा रहे हैं तथा बोरिंग मशीन तथा अन्य प्रकार की मशीनों से काम चालु है। 20 नवम्बर 2010 को भुलामोहगांव, हिवरखेड़ी, धनौरा, डागामनी पिपरिया, टेकमथावरी तथा चौसरा किसानों ने जिलाधीश छिन्दवाडा को ज्ञापन देकर ध्यान आकर्षित कराया तथा बिना अनुमति के अडानी ग्रुप द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है उसे रोकने का निवेदन किया। किन्तु आज तक ग्रामवासियों की तरफ ध्यान देने को जिला प्रशासन तैयार नहीं है।

छिन्दवाड़ा जिला पीने के पानी की कमी से जूझ रहा है परासीया, चौरई, पॉढुर्णा में हफ्ते में एक दिन पीने का पानी मिलता है। तथा सिंचाई का रकबा बहुत कम है जिले की 75 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचाई के अभाव में पड़ी रहती है। पेंच नदी ही जिले के किसानों की जीवनदायनी है। उसके ऊपर एक बाध बनाया गया जो तोतलाडोह के नाम पर जाना जाता है। जिस बांध के पानी से बिजली बनती है सम्पूर्ण बिजली तथा पानी महाराष्ट्र (नागपुर) को दिया जाता है। छिन्दवाड़ा जिले के निवासियों को न तो एक बूंद पानी न एक युनिट बिजली मिलती है। पेंच नदी पर दुसरा बांध पेंच डायवरर्सन परियोजना के नाम पर बनाया जा रहा है जिसमें 31 गांव डूब रहे है।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना विरोधी आंदोलन

पेंच नदी पर जो पेंच डायरवर्सन के नाम पर ग्राम माचागोगरा में बांध बनाया जा रहा है इसमें 31 गांव उजड़ रहे है। बांध की प्रोजेक्ट रिर्पोट देखने से ज्ञात होता है कि 31 गांव के लोगों को ग्राम माचागोरा, बामनवाडा, तथा भूतेरा में बसाया जायेगा।

अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी, पेंच परियोजना के अन्तर्गत बन रहे दो बांधों से दिया जाने वाला है, जबकि 31 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण जनहित के बहाने किसानों को सिंचाई का पानी देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। क्षेत्र के किसान भूमि अधिग्रहण का पुरजोर विरोध कर रहे है। पेंच व्यपवर्तन के विरोध में बाम्हनवाड़ा ग्राम सभा में 3 दिसम्बर 2010 को प्रस्ताव भी

पारित किया जा चुका है परंतु अभी तक इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। **(सलग्ल– 3. ग्राम सभा बाम्हनवाड़ा का प्रस्ताव)।** किसानों को यह तथ्य हाल ही में तब पता चला जब अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों ने फर्जी एफडीआर पर माचागोरा बांध निर्माण का ठेका लेने वाले एसके जैन का ठेका निरस्त कराया, जो अब अडानी ने अपनी हैदराबाद स्थित कम्पनी को दिलवा दिया है। **नई परिस्थिति में पेंच परियोजना में अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों तथा अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट से अपनी जमीन वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे किसानों में एकता बन गयी है।** किसानों के लिए विरोध ही विकल्प की समझ तक पहुंचाने में विशेशज्ञों की टीम से मिली जानकारियां महत्वपर्ण रहीं। हालांकि इस बीच अडानी कम्पनी द्वारा बिना पर्यावरण मंजूरी के बाऊण्ड्रीवाल बना ली गई, जमीनों पर कब्जा प्राप्त कर जगह जगह पर गढ्ढे करा लिए गए। जिलाधीश के आश्वासन के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा और पर्यावरण मंत्रालय चुप रहा।

लेकिन 31 मई 2011 को छिन्दवाड़ा खेती बचाओ जमीन बचाओ पदयात्रा में किसानों ने बडी संख्या में शामिल होकर यह तो साफ कर दिया है कि वे दबंगई से डरकर घर बैठने वाले नहीं हैं। **31 मई की सभा के दौरान किसानों ने हाथ खडा कर अपनी जमीनों पर खेती करने तथा अडानी पावर प्रोजेक्ट रद्द करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में जेल भरों आंदोलन चलाने का ऐलान किया। ऐसे में अगर सरकार समय रहते नहीं चेती तो किसानों को लड़ाई में जीत को ही अंतिम विकल्प के रूप में संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना ही पड़ेगा।**

किसान संघर्ष समिति द्वारा अडानी पेंच पॉवर लिमि0 प्रोजेक्ट तथा पेंच व्यपवर्धन परियोजना से प्रभावित ग्रामों में 28 मई से 31 मई 2011 के बीच पदयात्रा की गई। यात्रा के छिंदवाडा पहुंचने पर 5 हजार से अधिक किसान, जमीन बचाओ खेती बचाओ, रैली में शामिल हुए। डॉक्टर बीडी शर्मा, किशोर तिवारी तथा अन्य संगठनों के नेताओं ने रैली को सम्बोधित किया। अडानी पेंच पॉवर लिमि0 प्रोजेक्ट तथा पेंच व्यपवर्धन परियोजना से पदयात्रा के दौरान जो तथ्य उभर कर आये उन्हें जिलाधिश के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं पर्यावरण मंत्री को ज्ञापन स्वरूप भेजा गया। पदयात्रा के दौरान जो तथ्य उभर कर आये–

1. किसानों की जमीने एमपीईबी द्वारा 1986–87 में डेढ़ हजार रूपए से 10 हजार रूपए प्रति एक़ड़ की दर से जबरदस्ती, रोजगार का लालच देकर अधिग्रहित की गई थीं।

2. हाल ही में कुछ माह पूर्व हम किसानों को ज्ञात हुआ कि हमारी ज़मीन शासन ने अडानी कंम्पनी को 13.50 लाख रूपए प्रति एकड़ की दर से बेच दी है।

3. जमीन लेते समय तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा हमे यह आश्वासन दियां गया था कि एमपीईबी हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी तथा निःशुल्क बिजली किसानों को प्रदान करने के साथ जमीन के बदले जमीन दी जायेगी। एमपीईबी ने यह भी वायदा किया था कि उत्पादित होने वाली बिजली को लागत मुल्य पर प्रदेश के किसानों को दिया जायेगा। तीन साल के अंदर बिजली उत्पादन शुरू कर दिया जायेगा। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से किया गया एक भी वायदा पूरा नही किया गया। विषम स्थिति में फंसे हुए किसान और उन जमीनों से आजीविका प्राप्त करने वाले अन्य लोगों के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नही बचा कि वे उस भूमि पर अपना कब्जा बरकरार रखें। चाहे कानूनी स्थिति कोई भी क्यों न हो ? अब हमारा यह संकल्प है कि हम इस जमीन पर अपना कब्जा नही छोडेगें। इसके साथ ही पॉवर प्रोजेक्ट के प्रभावों के बारे में सही जानकारी सामने आ जाने से यह जरूरी है कि आगे की कोई भी कार्रवाई उसके प्रभावों की पूरी समीक्षा और एक बडे क्षेत्र में प्रभावित लोगों की जानकारी के बिना किसी भी तरीके की आगे की गतिविधियां हमें नामंजूर हैं। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा अडानी पेंच पॉवर लिमि0 को हमारे क्षेत्र में घूसने की इजाजत देना गलत हैं और हम उसको अस्वीकार करते हैं।

4. राज्य सरकार ने जमीन, बिजली का व्यापार करने वाली कम्पनी को भी लाभ कमाने के लिए सौंप दी है। हम किसान मानते हैं कि कल्याणकारी राज्य को हमारी जमीन से लाभ कमाने के लिए अधिग्रहित करने का कानूनी अधिकार नहीं है।

5. उपरोक्त स्थिति में आज किसानों से ली गई जमीनें हमें वापस दिलायी जाये।

6. हमारी यह भी मांग है कि 1987 से लेकर अब तक हर फसल के औसत उत्पादन के बाजार मूल्य की दर पर हमें क्षतिपूर्ति प्रदान की जाये।

7. हमारी यह मांग है कि हमारी जिन जमीनों को अडानी कम्पनी द्वारा खुदाई करके तथा अन्य तरीको से बर्बाद किया गया है उन जमीनों को पुनः खेती योग्य बनाकर हमें हमारी जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया जाये।

8. हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि अडानी कम्पनी द्वारा बाउन्ड्रीवाल का अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाकर किसान को अपनी जमीन पर खेती करने से रोका जा रहा है। तत्काल अडानी कम्पनी को सरकार निर्देशित करे कि वह किसानों को खेती करने से न रोके तथा फिर भी रोके जाने की स्थिति में कम्पनी पर कानूनी कार्यवाही की जाये।

9. हम किसानों का प्रतिनिधि मण्डल पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश जी से सुश्री मेघापाटकर तथा डॉ0 सुनीलम के नेतृत्व में मिला था। उन्होंने हमें बताया गया था कि अडानी पेंच पॉवर लिमि0 को अब तक पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमति पत्र प्रदान नहीं किया गया हैं ऐसी स्थिति में अदानी प्रोजेक्ट द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता।

10. आज की स्थिति में कोई भी किसान किसी भी दर पर अडानी प्रोजेक्ट को जमीन देने के लिए तैयार नहीं है।

11. हाल ही में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ जाकर किसानों को 5 लाख रूपए प्रति एकड का मुआवजा एवं रोजगार देने का झूठा आश्वासन देकर किसानों से हस्ताक्षर करवाकर सहमति लेने और फोटो सम्बन्धित अधिकारियों को भिजवाने का फर्जी कार्य किया है। उक्त सभी सहमति पत्र की फोटो प्रतिलिपि हमे उपलब्ध करायी जाये ताकि किसानों के असहमति पत्र सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष खंडन के शपथ पत्र के साथ आपके पास भिजवाई जा सके। आपसे अनुरोध है कि कम्पनी द्वारा जमा किए गए इन फर्जी कागजातों के आधार पर जमीन सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जाये।

12. आप जानते ही है कि 22 मई 2011 को शाम 5.30 बजे पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉ0 सुनीलम तथा किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रही समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष एड0 आराधना भार्गव पर कांग्रेस के स्थानीय नेता तथा अडानी प्रोजेक्ट में ठेकेदारी कर रहे गुण्डों द्वारा जानलेवा हमला किया गया जिसका मकसद हम किसानों के आंदोलन को नेतृत्वविहीन करना तथा हम किसानों को भयभीत करना था।

13. हम यह भी उल्लेख करना चाहते है कि अडानी कम्पनी द्वारा स्थानीय पुलिस को इस कदर प्रभावित कर रखा है कि हमले की तत्काल सूचना पुलिस अधीक्षक को देने के बावजूद ढाई घंटे बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तथा डॉ0 सुनीलम के दोनों हाथ तोड दिए जाने (हाथ में फैक्चर हो जाने) तथा सिर में चोट लगने तथा एड0 आराधना भार्गव को हाथ में फैक्चर तथा सिर में 10 टांके लगने के बावजूद धारा 323 के तहत साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया जबकि अपराधियों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था। जिस पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिये था। जमानती अपराध दर्ज करने के चलते हमलावर गुण्डो का मनोबल बढ़ गया है तथा वे सरेआम हमला करने के बाद गांव गांव घुमकर किसानों को आतंकित करने का कार्य कर रहे हैं।

14. दिनांक 6.11.2010 को पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर जन सुनवाई का आयोजन हुआ। परन्तु सबसे अचरज की बात तो यह हुई कि तथाकथित जनसुनवाई का आयोजन अडानी ने अपने कार्यालय में करवा लिया जहॉ उसके गुंडो का बोलबाला रहा। इसी के चलते किसानों की ओर से बात आधी अधूरी रह गई। ऐसी जन सुनवाई को हास्यास्पद और शून्यवत् माना जाय। हम इस बावत पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी सूचित करना चाहेंगे कि शून्यवत् जनसुनवाई के आधार पर कोई भी अग्रिम कार्रवाई न हो। हमारा आपसे आग्रह है कि इस शून्यवत् कार्रवाई पर आप भी किसी तरह की कोई कार्रवाई न करे।

15. हम आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहते है कि ह्यूमन राईटस लॉ नेटवर्क द्वारा जब जनसुनवाई की गई तब उस जनसुनवाई में बाधा पहुंचाने का काम अडानी के गुण्डो द्वारा किया गया। क्षेत्र के एसडीएम और एसडीओपी की उपस्थिति में गुण्डो द्वारा अडानी

कम्पनी के मुख्यालय में शराब पीकर जनसुनवाई के दौरान गडबडी फैलाने का प्रयास किया गया।

16. हम आपका ध्यान पेंच व्यपवर्धन परियोजना के सम्बन्ध में भी आकृष्ट करना चाहते है इस परियोजना के डूब क्षेत्र में 33 गांव आ रहे हैं। यहॉ जमीन अधिग्रहण का कार्य जबरदस्ती से अभी भी चल रहा है जबकि किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। परियोजना के अन्तर्गत नहरे बनवाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। माचागोरा पर कच्चा बांध बनाने का कार्य प्रस्तावित है। अब तक जो निर्माण कार्य किए गए उनकी गुणवत्ता की शिकायतें मिलने के चलते जिला पंचायत छिन्दवाडा द्वारा अपने जॉच दल से जॉच कराई गई अमानक स्तर का निर्माण पाये जाने पर निर्माण कार्य तोडने की अनशंसा जिला पंचायत ने की।

17. किसान आन्दोलन के दौरान यह सूचना प्राप्त हुई थी कि निर्माण ठेकेदार द्वारा 45 लाख रूपये की फर्जी एफडीआर एसके जैन द्वारा जमा की गई है। पूरे प्रदेश में 110 करोड की फर्जी एफडीआर जमा कर ठेके लिए गए हैं। हमारे आन्दोलन चलाये जाने पर एसके जैन का ठेका निरस्त कर दिया गया। हमारी जानकारी में आया है कि यह ठेका भी अडानी कम्पनी द्वारा ले लिया गया है।

18. हमारी जानकारी में आया है कि पेंच व्यपवर्धन परियोजना के अन्तर्गत निर्माण किये जा रहे बांधों का पानी किसानों के सिंचाई की जगह अडानी बिजली घर हेतु बेचा जाने वाला है। ऐसी स्थिति में भूअर्जन कानून के अन्तर्गत किसी भूमि का जनहित या राष्ट्रहित में अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। तदानुसार भू–अर्जन की कार्रवाई को तत्काल निरस्त कर किसानों की जमीने उन्हें वापस लौटाई जाये।

19. डूब क्षेत्र में तमाम किसानों की जमीन को बिना मुआवजे के अधिग्रहित करने की कार्रवाई की गई। उदाहरण के तौर पर बाम्हनवाडा में रूक्मणी वल्द तुलसीराम की 3.39 एकड जमीन 2004 में बिना मुआवजा तथा भूअर्जन की कार्रवाई के ले ली गई 6 वर्षो से किसान द्वारा खेती नहीं की जा सकी है। ऐसे सभी किसानों की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा दी जाय क्योंकि खेत में गढ्ढे खोद दिए गए हैं।

20. देश की पुनर्वास नीति के प्रावधानों के अनुसार न तो ग्रामसभाओं को पूरी योजना की जानकारी दी गई न ही ग्रामवासियों को मुआवजे सम्बन्धी तथा जमीन के बदले जमीन सम्बन्धी प्रावधानों की जानकारी दी गई है। न ही पुनर्स्थापन और पुनर्वास के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति 2003 का पालन किया गया। जबकि म0प्र0 शासन द्वारा किसानों को आश्वस्त किया गया था कि राष्ट्रीय नीति के अनुसार ही पुनर्स्थापन की कार्रवाई की जायेगी। प्रभावित ग्रामों मे भूमिहीन किसान लगभग 50 प्रतिशत है उनके पुनर्वास को लेकर अब तक कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की गई। बिना 50 प्रतिशत इस आबादी के वैकल्पिक रोजगार का प्रबन्ध किए कोई भी प्रोजेक्ट लगाए जाने के हम खिलाफ है।

21. पेंच व्यपवर्धन परियोजना की 1986 में प्राप्त पुरानी पर्यावरण स्वीकृति अप्रसांगिक हो गई है। पुनः पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किए बगैर परियोजना के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने के निर्देश जारी किए जाये।

22. अडानी पावर लिमि0 ने जो कि मूल कम्पनी है तथा जिसने अडानी पेंच पावर लिमि0 के नाम से एक सहायक कंपनी गठित की है उसे प्राथमिक अनुमति छिन्दवाडा जिले में ताप विद्युत संयंत्र लगाने की चौसरा ग्राम में प्रदान की गई।

23. थर्मल पावर प्लाट की तकनीक कितनी पुरानी है, किस देश या किस कंपनी से इसे प्राप्त किया गया है, इस तकनीक पर आधारित कितने ताप विद्युत संयंत्र इस देश में चलाया जा रहे हैं और किस शासकीय संस्था ने इस तकनीक को उपयोग में लाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह हमारी जानकारी में नहीं है।

24. जिला छिन्दवाडा आज भी घने जंगलों से अच्छादित है और इसकी विशिष्टता पेंच राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जिसे रूडयाड किपलिंग ने मोगली लैंड का नाम दिया था इस पेंच राष्ट्रीय अभ्यारण्य के लगभग बीचो बीच पेंच नदी उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है तथा अभ्यारण्य में न केवल छिन्दवाडा वरन सिवनी और नागपुर जिले का वन क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है।

पेंच नदी न केवल छिन्दवाडा जिले की जीवन रेखा वरन इसे पेंच अभ्यारण्य की भी जीवन रेखा कहा जा सकता है। यह नदी दमुआ

की आस पास की पहाडियों से निकलकर पहले पूर्व दिशा की ओर बहती है और फिर माचागोरा ग्राम जहॉ पर इस पर बांध बनाना प्रस्तावित है यह दक्षिण दिशा की ओर बहने लगती यह नदी इस क्षेत्र में पाये जाने वाले समस्त जीव जन्तुओं पेड़ पौधों तथा कृषि के लिए संजीवनी का काम करती है तथा नागपुर जिले के तोतलाडोह बांध के माध्यम से बडी मात्रा में सिंचाई तथा पीने के पानी विद्युत संयंत्रों की जल की आवश्यकता पूरी करती है।

25. यह कहना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि नागपुर जिले में खापरखेडा और सारणी पावर प्लांट लगभग पेंच अभ्यारण से उतने ही हैं जितना कि पेंच थर्मल पावर प्लांट की दूरी बताई जा रही है। उत्तर में यदि अडानी पेंच थर्मल पावर प्लांट स्थापित हो जाता है तो पेंच अभ्यारण्य दक्षिण में नागपुर की तरफ से खापरखेडा और कोराडी ताप विद्युत संयंत्रों और उत्तर में छिन्दवाडा जिले में चौसरा ग्राम में प्रस्तावित पेंच थर्मल पावर प्लांट के बीचों बीच आ जाता है। इस प्रकार दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोय कि कहावत यहॉ पर चरितार्थ होती है क्योंकि दोनों ही तरफ से विषैली गैस, प्रदूशित वायु, हवा में उड़ने वाले राख के कण और कार्बन के विभिन्न प्रकार के यौगिक वायुमंडल में फैलेगे और धीरे धीरे ये न केवल पूरे क्षेत्र में वरन विशेशतया पेंच अभ्यारण्य के ऊपर मंडराते रहेंगे और वहॉ के वायुमण्डल को विशाक्त करते जायेंगे तथा वर्षा ऋतु में ये ही विषाक्त राख के कण और अन्य तत्व पानी की बूंदों के साथ घुलकर पेंच अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा गिरते जायेंगे तथा जमते जायेंगे। जो धीरे–धीरे पूरे पेंच राष्ट्रीय उद्यान के पेड़–पौधों, जीव–जंतुओं को तरह–तरह से नुकसान पहुंचाने लगेंगे।

इसके अलावा अडानी पेंच थर्मल पावर प्लाट से निकलने वाला प्रदूषित जल, जिसमें कोयला जलाने और संयंत्र को चलाने वाले तेल के भी अंश होंगे वे न केवल भूगर्भीय जल, सतह के ऊपर के जल और मिट्टी को प्रदषित करेंगे बल्कि पेंच नदी में विभिन्न नालों और नालियों के माध्यम से आकर मिलते जायेंगे। और यही पानी बहते बहते नागपुर की सीमा में तोतलाडोह तक पहुंचेगा। वर्षा ऋतु के दौरान जब बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जायेगी तो पेंच अभ्यारण्य के नालों नालियों के जल में भी यह प्रदूषित जल फैलता चला जायेगा और इस जल को पीकर जानवरों की किडनी,

लीवर और अन्य अंगों पर यहॉ तक की जीव जन्तुओं, पशु–पक्षियों की प्रजनन शक्ति पर भी इसका दुश्प्रभाव पड़ेगा। अति सूक्ष्म जीवाणुओं का विकास होगा तथा तोतलाडोह में पाये जाने वाले जलीय जीवों पर, पेड़–पौधों पर भी इसका धीरे धीरे दुष्प्रभाव पड़ता जायेगा। छिन्दवाडा और खासकर चौरई, चांद, सिवनी के ऊपर इस प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जा चुका है दीर्घकाल में इस पूरे क्षेत्र में कृषि भूमि और वनों के ऊपर तथा इसमें पाये जाने वाले पेड़ पौधों, जीव जन्तुओं पर इसका प्रभाव परिलक्षित होगा।

26. अपने संक्षिप्त प्रतिवेदन में अडानी पेंच पावर लिमि0 ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि विश्लेषण के मुताबिक यहॉ के भूमिगत जल में जो कि चौसरा और उसके आस पास के 9 गांवों में पारा, तांबा, आरसेनिक से लेकर तमाम ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य के लिये अत्यंत हानिकारक है तथा सतह के ऊपर पाये जाने वाले जल में भी यह तत्व मौजूद हैं परंतु इनकी मात्रा बहुत अल्प है। जिसका पता नहीं लगाया जा सकता।

अतः हम छिन्दवाडा के किसान एवं आमजन यह कहने में जरा भी संकोच नहीं करते जबकी यहॉ पर जलीय विषाक्त इतनी अधिक है तो आप अपना थर्मल पावर प्लांट लगाकर इसे और विषाक्त करने पर क्यों तुले है क्यों हमारे ताबूत में आखिरी कील ठोकने पर आमादा है?इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना बहुत आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार के जहरीले तत्व उसी थर्मल पावर प्लांट के आसपास पाये जाते हैं। जहॉ पर वे चल रहे होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना अथवा ऐसी स्थिति जिसकी पूर्व में अनुमान न लगाया जा सके और जिसके कारण बहुत तेजी से प्रदूषण हो जाये, इस से बचने के लिये ऐसा कहा जा रहा है कि यहॉ पहले से ही भू–गर्भीय प्रदूषण है। अडानी पावर कम्पनी भविष्य में होने वाले नुकसान से बचने तथा अपने हितों की सुरक्षा हेतु इस प्रकार प्रचार कर रही है।

27. अपने संक्षेप प्रतिवेदन में अडानी पेंच पावर लिमि0 द्वारा कहा गया कि प्रतिवर्ष दो करोड दस लाख मैट्रिक टन राख ताप विद्युत संयंत्र से निकलेगी जिसे वे ईट बनाने तथा सीमेंट कारखानों को सीमेंट में मिलाने हेतु बेचेंगे और बाकी की राख को एसपौण्ड (राख के

तालाब) में जमा करते जायेंगे। यहॉ प्रश्न यह उठता है कि न तो छिन्दवाडा जिले के अंदर या उसके आस पास कोई सीमेंट बनाने वाला कारखाना है और ना ही यहॉ पर सीमेंट बनाने वाला चूना पत्थर उपलब्ध है तो न तो यहॉ सीमेंट का कारखाना खोला जा सकता है न ही उडने वाली राख को एकत्र करके कटनी के आस पास स्थित सीमेंट कारखानों में भेजा जा सकता है क्योंकि यह आर्थिक वाणिज्यिक रूप से केवल घाटे का सौदा होगा। ऐसी स्थिति में मात्र 10 वर्ष में 21 करोड टन राख का भंडार चौसरा ग्राम थर्मल पावर प्लांट के पास एकत्रित हो जायेंगा।

28. 1926 में छिन्दवाडा जिले मे इतनी अधिक वर्षा हुई थी कि पेंच ने अपने आस पास के सैकडों गांवो को बाढ़ के पानी से भर दिया था। बदले जलवायु क्रम में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी ऐसी भीषण बरसात आने वाले वर्षो में हो सकती है तब इस एसपौण्ड से स्वाभाविक रूप से निकलने वाली राख के अलावा बडी मात्रा में राख नदी में बह गई तो आसपास के क्षेत्रों से लेकर पेंच अभ्यारण्य तक तथा तोतलाडोह बांध भी पूरी तरह से प्रदूषित हो जायेगा। इस नुकसान की सामाजिक लागत की भरपाई करना संभव नहीं हो पायेगी। अतः हम इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है कि भू–गर्भीय, सतही एवं वायु प्रदूषण को अडानी पेंच पावर लिमिटेड की सुपर क्रिट्रीकल टेक्नालॉजी 99.9 प्रतिशत प्रदूषण से मुक्त कर सकती है। (एसिडरेन) बरसात होने से रोक सकती है। यह केवल नजरों का धोखा ही है तथा इस क्षेत्र के भोले भाले किसानों को गुमराह करना है।

29. माचागोरा के पास बनने वाले बांध का 55 प्रतिशत जल सिवनी जिले को दिया जाना है तथा शेष जल जिले के किसानों को सिंचाई के लिये मिलना प्रस्तावित है। थर्मल पावर प्लांट बनने से कुल संग्रहित जल का एक चौथाई हिस्सा विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जावेगा और सिवनी जिला किसी भी हालत में उसे प्रदत्त जल की मात्रा से कम लेने के लिये तैयार नहीं होगा क्योंकि सिवनी जिले को इस बात से कोई मतलब नहीं की चौसरा में एक थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। तो यहॉ भी हमारे किसानों को सिंचाई के लिये दिये जाने वाले जल का केवल एक चौथाई ही भाग मिल पायेगा। तो करोडों रूपये की लागत से बनने वाली नहरों का क्या होगा?

सिंचाई के लिये जल की मात्रा कम, भूमि प्रदूषित, जल प्रदूषित, वायुमंडल प्रदूषित इस थर्मल पावर प्लांट से हमें इसके अलावा और क्या मिलेगा ? **जहॉ तक कि रोजगार का सवाल है तो इस थर्मल पावर प्लांट को 750 लोगों की जरूरत पडेगी। रोजगार के प्रत्यक्ष अवसरों की बात छोड़ दीजिये, सब सब्जबाग दिखाये जा रहे है। कि हम स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, गौ शाला खोलेंगे, वन लगायेंगे, गांव में सड़क बना देंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, हिन्दी में एक कहावत है हाथ की भी गई और तवे की भी गई।**

अतः हम छिन्दवाडा के किसान, मजदूर एवं आमजन भारत सरकार से जनहित में यह अपील करते हैं कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के बारे मे पुनः सोच विचार करे क्योंकि करोड़ों वर्षो से प्रकृति ने छिन्दवाडा जिले को जो कुछ दिया है घने जंगल, उसका पर्याप्त से अधिक विनाश कोयला खदानों के माध्यम से किया जा चुका है। अतः क्या बचे खुचे जंगलों को, पेंच अभ्यारण्य को भी नष्ट होने देना चाहिये, क्या क्षेत्र के गरीब किसानों, भूमिहीन मजदूरों को दरदर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया जायेगा। अपनी जल, जंगल एवं जमीनों को बचाने के लिए लड़ी जा रही इस पर्यावरणीय एवं आर्थिक सामाजिक हितों की रक्षा की लडाई हम अंतिम समय तक लडते रहेंगे।

हम यह मानकर चलते हैं तथा यह दिन के उजाले की तरह साफ है कि क्षुद्र आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु प्रशासन वृहत सामाजिक हितों की खुली अनदेखी कर रहा है क्योंकि प्रशासन यह जानता है कि छिन्दवाडा जिले में कोयले तथा मैग्नीज के विशाल भण्डार है। जहॉ पर अडानी थर्मल पॉवर प्लांट प्रस्तावित है तथा 700 स्क्वेयर कि0मी0 में फैले पेंच अभ्यारण में खासकर विशाल भण्डार भूगर्भ में दबे हुए है। एक सोची समझी साजिश के तहत पहले पेंच अभ्यारण को बर्बाद करने की घृणास्पद साजिश राजनीतिक तथा कार्पोरेट स्तर पर आपसी तालमेल से की जा रही है और इसी के तहत पेंच अडानी थर्मल पॉवर प्लांट लगाने को अनुमति प्रदान की गई है। जिसका हम घोर विरोध करते हैं। हम भारत सरकार से यह पूरजोर मांग करते है कि समस्त प्रक्रिया का पुनः अवलोकन करने हेतु एक उच्च स्तरीय जॉच दल नियुक्त किया जाए ताकि किसानों, मजदूरों और कृषि तथा वनों पर निर्भर सभी पक्षों को ईमानदारी से सुना जा सके।

हमारी शांतिपूर्ण मांगो को न मानकर शासन अशांति की पृष्ठभूमि तैयार करने की चेष्टा कर रहा है हम यह भी कहना चाहेंगे कि हम अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अडानी पेंच पॉवर लिमि. के द्वारा किए गए निर्माण कार्यो को हटाने के लिए बाध्य न किये जाए। तथा प्रशासन इस काम को पूरा करे क्योंकि अडानी पेंच पॉवर लिमि0 को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिली है।

अंत में हम किसान एवं मजदूर यह स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जितना विनाश हो चुका उतना हो चुका अब और बर्दास्त नहीं किया जायेगा और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तथा आने वाली हमारी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

अतः प्रशासन हमारी मांगों पर न केवल विचार करे वरन हमारी मांगों को पूरा भी करें। विकास का अर्थ समस्त आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय विनाश कदापि नहीं हो सकता। इसे हमारी विनम्र शांतिपूर्ण प्रार्थना एवं चेतावनी के रूप में देखा जाए। भविष्य में होने वाली किसी भी अव्यवस्था के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार माना जायेगा।

थर्मल पावर प्लांट की चोरी–चुपके जनसुनवाई, स्थानीय लोगों को कानों–कान खबर नहीं

अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट के लिए **6.11.2010 को पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर जन सुनवाई का आयोजन हुआ परन्तु सबसे अचरज की बात तो यह हुई कि तथाकथित जनसुनवाई का आयोजन अडानी ने अपने कार्यालय में करवा लिया जहाँ उसके गुंडो का बोलबाला रहा।**

इसी प्रकार की जनसुनवाई प्रदेश की अन्य परियोजनाओं में देखने को मिल रही है। संस्कारधानी से महज सौ किलोमीटर दूर स्थापित होने वाले देश के मशहूर थापर ग्रुप के सहयोगी प्रतिष्ठान झाबुआ पावर लिमिटेड के कोल आधारित पावर प्लांट के द्वितीय चरण की जनसुनवाई का काम गुपचुप तरीके से किया गया। **22 नवंबर 2011 को शासकीय हाई स्कूल गोरखपुर, तहसील घंसौर एवं जिला सिवनी में प्रातः 11 बजे होने वाली जनसुनवाई की मुनादी भी नहीं पिटवाया जाना अनेक संदेहों को जन्म दे रहा है।** इस बारे में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेब साईट भी लगता है झाबुआ पावर लिमिटेड के कथित एहसानों से दब चुकी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आदिवासी बाहुल्य तहसील घंसौर के ग्राम बरेला में स्थापित होने वाले पावर प्लांट के पहले चरण में पूर्व में ही गुपचुप तरीके से 600 मेगावाट की संस्थापना की जनसुनवाई पूरी कर ली गई थी। इस जनसुनवाई में क्या क्या हुआ इसका विवरण **मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेब साईट पर उपलब्ध तो है किन्तु जरूरी एवं काम की कार्यवाही की छायाप्रति इतनी उजली डाली गई है कि उसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है।**

मध्य प्रदेश प्रदूषण मण्डल जबलपुर के क्षेत्रीय अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह और तत्कालीन अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी श्रीमति अलका श्रीवास्तव के हस्ताक्षरों से युक्त इस प्रतिवेदन में क्या क्या हुआ यह तो वर्णित है, इसमें चालीस आपत्तियां भी दर्ज हैं, किन्तु इस आपत्तियों को पठनीय किसी भी दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकता है। यह शोध का ही विषय है कि सरकारी वेब साईट में लोक जनसुनवाई की कार्यवाही को पारदर्शिता के साथ प्रदर्शित क्यों नहीं किया गया है। इसके पूर्व में भी हुई जनसुनवाईयों के बारे में भी मण्डल का रवैया संदिग्ध ही रहा है।

मण्डल की वेब साईट पर 352 नंबर पर अब इसके दूसरे चरण की लोक जनसुनवाई का मामला अंकित है। इसमें हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में कंपनी की प्रस्तावना को क्लिक करने पर पेज केन नॉट बी डिस्पलेड प्रदर्शित हो जाता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिवराज सरकार का यह पक्षपात पूर्ण रवैया समझ से परे ही कहा जा सकता है। **पूर्व की जनसुनवाई में आई आपत्तियों का निराकरण क्या किया गया है? इस बारे में मण्डल, प्रदेश सरकार और कंपनी ने अपने मुंह सिले हुए हैं।**

गौरतलब है कि इसके पूर्व भी पहले चरण में 600 मेगावाट के प्रस्तावित कोल और सुपर क्रिस्टल टेक्नोलॉजी आधारित पावर प्लांट की जनसुनवाई के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला था।

साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपुल ने पर्यावरण मंजूरी को अप्रासंगिक माना

साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपुल (एक स्वयंसेवी संगठन जो बड़े बांधों, नदियों और प्रभावित लोगों पर काम करता है।) से जुड़े **हिमांशु ठक्कर ने अडानी पेंच पॉवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का**

अध्ययन करने के बाद तैयार की गई ग्रीन सी. के ई.आई.ए. रिपोर्ट में कहा कि 1986 में दी गई पर्यावरण मंजूरी आज अप्रासंगिक हो चुकी है और अभी नई मंजूरी मिलने से पहले परियोजना का काम भुरू करना एकदम गैरकानूनी है। वह यह भी बताते हैं कि अडानी ने जो पर्यावरण को प्रभावित करने वाली आकलन रिपोर्ट बनाई हैं उसमें भी बड़ी–बड़ी खामियां है। हिमांशु ठक्कर बताते हैं कि ऐसी किसी भी परियोजना के लिए जल, यातायात तथा ईंधन उपलब्धता पर पूरा स्पश्टीकरण होना चाहिए जो इस रिपोर्ट में नहीं है। वह यह भी बाताते हैं कि जमीन अधिग्रहण का जो कानून आ रहा है उसमें साफ है कि यदि प्रस्तावित उद्देश्य को पांच साल में पूरा नहीं किया जा सके तो जमीन वापिस करनी होगी। जबकि यहां पर जमीन लिए 25 वर्श हो चुके है।

अडानी पर सरकार मेहरबान

तत्कालीन एसडीएम (अमरवाड़ा) और वर्तमान भू–अर्जन अधिकारी (अडानी पॉवर) प्रकाश राज ने गलत तरीके से 20 हैक्टेयर भूमि अडानी को आवंटन कर दिया। अडानी पेंच पॉवर लिमिटेड को जो भूमि आवंटित की गयी वह ग्राम हिवरखेड़ी पटवारी हलका नम्बर 01 बंदोबस्त नम्बर 316 तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि खसरा क्रमांक मद छोटे झाड़ का जंगल मद 322–1, 322–2, 324, 325, 327, 330, 332, 341, 396, 397, 398, 399, 400–1, 400–2, 400–4, 423–2, 425–1434, 437, 438, 328, 445, 449–1, 490, 510–1, 510–2 328, 465, 479–1,2, 353 मद खसरा नम्बर 33 की भूमि कुल रकबा 17,369 हैक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 276, 277, 278, 280, 320 छोटे झाड़ का का जंगल, कुल 0.05 रकबा खसरा नम्बरों की रकबा 3.605 हेक्टेयर भूमि की मांग पर, पॉवर प्लांट लगाये जाने हेतु चाहे जाने पर, अनुविभागीय अधिकारी चौरई में दर्ज किया गया था। उक्त वन विभाग की भूमि के छोटे–बड़े झाड़ के जंगल की भूमि को एसडीएम एवं तहसीलदार चौरई द्वारा बिना अभिलेख जांच किए ही, पटवारी द्वारा जारी अभिलेख की प्रतिलिपि के आधार एवं बिना रिकार्ड परीक्षण किए अदानी पेंच पॉवर लिमिटेड, द्वारा उक्त सभी आवेदित खसरों की भूमि शासकीय घास–मद में दर्ज होने एवं **अडानी पॉवर प्लांट को आवंटित किए जाने की अनुशंसा कर दी गई।**

किसान संघर्श समिति की सक्रिय साथी एडवोकेट आराधना भार्गव ने 2011 में **सूचना के अधिकार के तहत छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम हिवरखेड़ी की 52 एकड़ भूमि छोटे झाड़ के जंगल को आवंटित करने की सम्पूर्ण जानकारी के लिए आवेदन किया गया था।** लोकसूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमाक 86, 9 जनवरी 2012 में सूचना देने से मना कर दिया। **(संलग्लक–4. लोकसूचना अधिकारी का पत्र)**

किसानों के विरोध के कारण 20 हैक्टेयर भूमि का आवंटन का प्रस्ताव रद्द

किसान शुरू से ही इस आवंटन का विरोध कर रहे थे। आखिरकार आंदोलन कर रहे किसानों को 23 दिसम्बर 2011 को सफलता मिली। **कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. पवन कुमार शर्मा ने अडानी कम्पनी को गलत तरीके से आवंटित की गयी 20 हैक्टेयर भूमि का आवंटन रद्द करते हुए माना कि तत्कालीन एसडीएम (अमरवाड़ा) और वर्तमान भू–अर्जन अधिकारी (अडानी पॉवर) प्रकाश राज की भूमिका संदिग्ध थी।** जिला कलेक्टर की इस कार्यवाही से पूरे जिले में हड़कम्प व्याप्त हो गया है और वर्तमान राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों पर भी कार्यवाही की जा रही है तथा हिवरखेड़ी के पटवारी कुमरे को निलम्बित भी कर दिया गया है। इस कार्यवाही के बाद बिना पर्यावरण अनुमति के अडानी प्रोजेक्ट द्वारा जो भी प्रस्तावित निर्माण किया गया है उसके तोड़ने की कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन पर दबाव बानाने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है।

दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए आंदोलन तेज

फर्जी रिकार्ड तैयार कर छोटे झाड़ के जंगल को अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट को आबंटित करने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार करने एवं अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट, पेंच व्यपवर्तन परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर 9 फरवरी 2012 को जम्होड़ी पंडा में एवं 10 फरवरी 2012 को ग्राम चौसरा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया।

किसान संघर्ष समिति के साथी डॉ सुनीलम ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि छिन्दवाड़ा जिले के चौसरा ग्राम में अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा छिन्दवाड़ा के सांसद के इशारे पर छिन्दवाड़ा के कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार चौरई, हिवरखेड़ी के पदस्थ पटवारी द्वारा छोटे झाड़ के जंगल को गैर कानूनी तरीके से अदानी पेंच पावर प्रोजेक्ट को सौंप दिए जाने के अपराध के चलते 409, 420, 419, 467, 468 भा. द. वि. के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल गिरफ्तार किया जाय। डॉ सुनीलम ने अडानी को किए गए आबंटन को रद्द करने, अदानी द्वारा छोटे झाड के जंगल की भूमि पर किए गए तिमंजिला अवैध निर्माण को तत्काल तोड़े जाने की मांग करते हुए कहा है कि ना तो अब तक पर्यावरण मंत्रालय से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है न ही पर्यावरण मंत्रालय से अडानी को छोटे झाड़ के जंगल आबंटित करने की मंजूरी मिली है

डॉ सुनीलम ने आरोप लगाया है कि पूरे प्रकरण में करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार हुआ है इस कारण राज्य सरकार को पूरा प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सौंपना चाहिए डॉ सुनीलम ने सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच एवं संपत्ति को सार्वजनिक करने की मांग की है।

इन मुद्दों को लेकर 10 फरवरी 2011 को ग्राम चौसरा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। पेंच व्यपवर्तन परियोजना से प्रभावित ग्रामों में पुलिस द्वारा धमकाकर किसानों को जबरदस्ती कौड़ियों के दाम पर जमीन का मुआवजा दिए जाने की जानकारी देते हुए डॉ सुनीलम ने कहा कि सरकार किसानों के साथ जोर जबरदस्ती कर अदानी पेंच पावर प्रोजेक्ट को पानी देने के लिए माचागोरा बांध का निर्माण कराना चाहती है जबकि भूअर्जन अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि सार्वजनिक हित के लिए ही किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा सकती है कम्पनी को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण का प्रावधान भूअर्जन अधिनियम में नहीं है गैर कानूनी तरीके से किसानों की जमीन पुलिस के बल पर नेताओं के इशारे पर उनसे छीनी जा रही है। जिसका प्रभावित किसानों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के द्वारा भारी पुलिस बल के साथ गांव गांव का दौरा करने के बावजूद किसानों ने मुआवजा राशि लेने से इन्कार कर दिया है।

हजारों किसानों का संसद के समक्ष तीन दिवसीय धरना

साझा जनसंघर्शों के जनसंगठन 'संघर्श' की अगुवाई में अग्रेंजों द्वारा बनाए गए **1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को खारिज करके एक जनोमुखी समग्र कानून बनाने की मांग को लेकर संघर्ष 2011 के तहत संसद पर 3 से 5 अगस्त 2011 के बीच धरना आयोजित किया गया।**

इस धरने में प्रदेश के 30 जिलों के किसान तथा संघर्ष समिति के पदाधिकारी, छिन्दवाड़ा में अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट, पेंच व्यपवर्धन परियोजना, एसकेएस0 पावर जनरेशन लिमि0 राहीवाडा तथा दमुआ पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले 2000 से अधिक किसान संसद के समक्ष धरने में शामिल हुए।

जल, जंगल, जमीन, खनिज और आजीविका के संवैधानिक अधिकारो की सुरक्षा के लिए समग्र भूमि अधिकार कानून की मांग को लेकर आयोजित किये गये इस धरने को सुश्री मेघापाटकर, स्वामी अग्निवेश, बी0डी0 शर्मा, श्री कुलदीप नैयर, श्री प्रफुल सामंतराय, अशोक चौधरी, गौतम बंदोपाध्याय, गुमानसिंह, एडवोकेट आराधना भार्गव सहित विभिन्न जनसंगठनो के नेताओं ने सम्बोधित किया।

डॉ0 सुनीलम् ने कहा कि देश भर में भूमि की लूट के खिलाफ वैकल्पिक विकास नियोजन के लिए संघर्ष कर रहे 15 राज्यों के जनसंगठन इस धरने में भाग ले रहे हैं। **सुनीलम् ने धरने के माध्यम से सरकार से मांग की वह आजादी के बाद से अब तक अधिग्रहित की गई जमीनों तथा उनसे विस्थापित हुए लोगों की मौजूदा स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे, जब तक संसदीय समिति द्वारा समीक्षा न कर ली जाए तब तक समस्त भूमि अधिग्रहण को स्थगित किया जाए तथा भूमि अधिकार तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए समग्र कानून बनाया जाए।** समग्र कानून इस तरह का होना चाहिए जिसमें कृषि उत्पादन की प्राथमिक जरूरतों का ख्याल रखा जाए तथा सही सार्वजनिक जरूरत और भूमि सुधार के लिए भूमि की मिल्कियत की वैकल्पिक व्यवस्था भी हो। इस कानून में समुदाय और ग्राम समाज की व्यापक सहमति के बिना किसी भी भूअधिग्रहण पर रोक लगाई जानी चाहिए।

किसानों का विधानसभा पर प्रदर्शन–गिरफ्तारियां

किसान संघर्ष समिति की अगुवाई में प्रदेश भर से आये किसानों ने भू–अर्जन कार्यवाही बन्द करो, पेंच–अडानी परियोजना रद्द करो, जमीन हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की, के नारे लगाते हुए शाहजहांनी पार्क से जुलूस निकाल कर विधानसभा पर प्रदर्शन किया। लिली टाकीज से आगे बढ़ने का प्रयास करने पर किसानों को गिरफ्तार करने की घोषणा ए.डी.एम. द्वारा की गई, सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया गया एवं उन्हें शाम को रिहा किया गया। किसानों का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी को विधानसभा में जाकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल के साथ विधायक पारस सकलेचा मौजूद थे। रोहाणी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ आधे घंटे चर्चा की। चर्चा के समय जल संसाधन मंत्रालय का प्रभार देख रहे अजय विश्नोई भी मौजूद थे।

किसानों द्वारा डा. सुनीलम पर हमले एवं हाल ही के दौरे के समय छह गुंडों की गिरफ्तारी को लेकर रोहाणी ने कहा कि मध्यप्रदेश में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वितावश हिंसा की कोई परंपरा नहीं रही है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया विषय की गंभीरता को देखते हुए वे इस संबंध में सदन में चर्चा कराने का निर्णय लेंगे। सकलेचा ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि उन्होंने पेंच–अडानी परियोजना को लेकर ध्यानाकर्षण विधानसभा में लगाया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात का समय नहीं दिया। मुख्यमंत्री का ज्ञापन विधानसभा कार्यालय में उनके निजी सचिव को सौंपा गया।

प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए महिला संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट आराधना भार्गव ने कहा कि पेंच–अडानी प्रोजेक्ट के लिए जबरजस्ती किसानों की भूमि का भू–अर्जन किया जा रहा है, खुद प्रमुख सचिव जाकर किसानों को धमकाने का कार्य कर रहे हैं लेकिन किसान एक भी इंच जमीन देने को तैयार नहीं हैं। एडवोकेट भार्गव ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जोर–जबर्दस्ती से जमीन के अधिग्रहण पर तथा लोकहित की परियोजना के लिए ली गई जमीन का उपयोग व्यापारिक हित पर करने पर रोक लगाई है। इसके बावजूद भी पानी सरकार ने अडानी को बेच दिया है। किसान संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व विधायक डा. सुनीलम ने कहा कि स्वयं को किसान का बेटा कहने वाले मुख्यमंत्री एक तरफ तो बिजली एवं खाद

का दाम बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ सोयाबीन की खरीद 2500 रुपए क्विंटल पर, गेंहू तथा मक्का की खरीद 1500 रुपए रू. करने पर तैयार नहीं है। डा. सुनीलम ने कहा कि जब केन्द्र सरकार द्वारा भू–अधिग्रहण एवं पुर्नवास को लेकर कानून बनाया जा रहा है तब राज्य सरकार को भू–अधिग्रहण करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पेंच–अडानी प्रभावित किसानों को मुलताई की तरह की कार्यवाही की धमकी देने वाली राधेश्याम जुलानिया की बात पर टिप्पणी करते हुए डा. सुनीलम ने कहा कि मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए एक सिंगूर की घटना के चलते किसानों ने पश्चिम बंगाल की 33 वर्ष की सरकार बदल दी तथा एक टप्पलपुर की घटना से उत्तरप्रदेश की सरकार को दुनिया का सबसे बड़ा हाई–वे रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। डा. सुनीलम ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा परियोजना की लागत 500 करोड़ से 1350 करोड़ हो जाने के कारण रद्द किया गया था लेकिन सरकार के पास आर्थिक संसाधन न होने के बावजूद पेंच परियोजना को पुनः शुरू करने का आश्वासन देकर केवल वोट के लिए किसानों को गुमराह किया जा रहा है। **किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि यदि सरकार ने पेंच–अडानी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों को किसानों को वापस नहीं किया और भू–अर्जन की कार्यवाही न रोकी तो किसान मंच सहित देश के विभिन्न किसान संगठन छिंदवाड़ा में घेरा डालो– डेरा डालो आन्दोलन करेंगे।**

किसान संघर्ष समिति का विधानसभा पर विशाल जंगी प्रदर्शन

अडानी पेंच पॉवर प्रोजेक्ट तथा पेंच व्यवपवर्तन से प्रभावित किसानों द्वारा 23 फरवरी 2012 को विधानसभा पर प्रदर्शन किया गया। डॉ. सुनीलम ने प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार ने 10 हजार हैक्टेयर भूमि किसानों से छीनकर करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार कर कंपनियों को दी हैं। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर लोकायुक्त से कार्यवाही की जानी चाहिए। किसान संघर्ष समिति ने निम्न मांगों को लेकर विधानसभा पर जंगी प्रदर्शन किया–

- अडानी पावर प्रोजेक्ट तथा पेंच व्यपवर्तन परियोजना रद्द किया जाए।

- अडानी प्रोजेक्ट तथा पेंच परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस की जाए।
- अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट को छोटे झाड़ का जंगल फर्जी दस्तावेज बनाकर आबंटित करने वाले पटवारी, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, जिलाधीश छिन्दवाड़ा पर अपराधिक मुकदमें दर्ज कर गिरफ्तार किया जाकर भूमि का आबंटन रद्द किया जाए।
- अडानी द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की बिना अनुमति के निर्मित बिल्डिंग को तोड़ा जाए। (अतिक्रमण को हटाया जाए)
- एस.के.एस. प्रोजेक्ट तथा मेक्सों प्रोजेक्ट रद्द कर आदिवासियों की भूमि वापस किया जाए तथा आदिवासियों की भूमि कंपनी को आबंटित करने वाले अधिकारी पर अपराधिक मामले दर्ज किया जाए।
- मचागोरा बांध का फर्जी एफ.डी.आर. पर ठेका लेने वाले एस. के. जैन को गिरफ्तार किया जाए।
- पेंच परियोजना क्षेत्र में जोर जबरदस्ती से बनाई गई सिंगना कालोनी का अतिक्रमण हटाया जाए तथा आदिवासियों को उनकी भूमि मुआवजा सहित वापिस की जाए। नहरों के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों की जमीन को लेबल कर मुआवजा सहित वापिस की जाए।

इसके अलावा कटनी के किसानों द्वारा **डॉ0 ए0के0 खान के नेतृत्व में 22 फरवरी 2012 को पड़ुआ की चरोखर तथा छोटे घास के जंगल सुख सागर प्रा0 लि0 को दिये जाने के खिलाफ कटनी के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया तथा इन्हीं मांगो के साथ 23 फरवरी को भोपाल में प्रदर्शन किया गया।** मांगे निम्नलिखित है:–

1. शमशान, गोठान, चरोखर भूमि का सीमांकन कर सुरक्षित की जाये।
2. उद्योग के नाम सरकारी एवं किसानों की भूमि की लूट बंद की जाये।
3. ग्राम की शासकीय भूमि पर ग्राम सभा का अधिकार हो।
4. गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिले।
5. आबादी घोषित कर मकान हेतु पट्टे दिये जायें।

6. हरिजन–आदिवासिओं को खेती करने हेतु 2009 में जो पट्टे दिये गये थे उनका सीमांकन कर कब्जा दिया जाये।

आंदोलनकारियों पर हमला

प्रदेश में विनाशकारी परियोजनाओं का विरोध जैसे–जैसे तेज हो रहा है वैसे–वैसे आंदोलनकारियों का दमन, उत्पीड़न भी तेज होता जा रहा है। इस पुरी प्रक्रिया में कम्पनी, कारपोरेट्स तथा सरकार का गठजोड़ उभर कर सामने आ रहा है। **अडानी पॉवर प्रोजेक्ट के गुण्डों द्वारा 22 मई 2011 को डा. सुनीलम व आराधना भार्गव पर जानलेवा हमला किया गया।** इस पुरे घटनाक्रम पर डॉ. सुनीलम का कहना है कि जिला मुख्यलय से 14 कि0मी0 दूर 22 मई 2011 को शाम 5.30 बजे दो बार के प्रयास के बाद मुझे तीन बुलेरो गाड़ियों में सवार 15 अडानी पेंच पावर लिमि0 तथा कमलनाथ से जुडे कांग्रेसी ठेकेदार के गुण्डों ने मेरी जीप के कॉच तोडकर लाठियों से हमलाकर दोनों हाथ तोड दिए सिर में चोट आई। अडानी प्रोजेक्ट तथा पेंच व्यपवर्धन परियोजना के प्रभावित किसानों का आन्दोलन का नेतृत्व कर रही एडवोकेट आराधना भार्गव को लाठियों से पीटे जाने के चलते सिर में 10 टांके लगे तथा एक हाथ फैक्चर हो गया। हम छिन्दवाड़ा जिले के भूलामोहगांव से 28 से 31 मई 2011 के बीच दोनों प्रोजेक्ट के विरोध में पद्यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप देकर लौट रहे थे।

जब हमला हुआ तभी आराधना भार्गव ने पुलिस अधीक्षक छिन्दवाडा को फोन कर हमला करने वालों तथा गाड़ियों के नम्बर की जानकारी दी, मेरी बात भी कराई। लेकिन पुलिस को 14 कि0मी0 की दूरी तय करने में ढाई घंटा लगा। पुलिस ने हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज करने के बजाय धारा 323 साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया।

घटना की जानकारी होते ही जन संसद की कोर कमेटी के नेता छिन्दवाड़ा पहुंचे, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। गांव का दौरा किया और मुख्यमंत्री तथा पर्यावरण मंत्री को ज्ञापन सौंपा। डॉ0 बनवारीलाल शर्मा, मनोज त्यागी, विवेकानन्द माथने, अमरनाथ भाई तथा जयंत वर्मा ने मुख्यमंत्री से हमलावरों को गिरफ्तार कराने तथा किसानों की जमीने वापस करने की मांग की।

दो दिनों तक छिन्दवाड़ा जिला चिकित्सालय में मैंने अनशन किया, जिलाधीश द्वारा अडानी का काम रोके जाने तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा

हमलावरों को गिरफ्तार किए जाने के आश्वासन के बाद मैंने ग्रामवासियों के हाथों अनशन तोड़ा तथा हाथ के ईलाज के लिए 2 दिन हमीदिया अस्पताल में ईलाज कराकर पदयात्रा के लिए वापस छिन्दवाडा पहुंच गया।

28 से 31 मई 2011 को चिलचिलाती धूप में पदयात्रा की, गांव में सभाएं लेकर आंदोलन के मुद्दो के बारे में ग्रामीणों को समझाया। यात्रा के छिन्दवाडा पहुंचने पर 5 हजार से अधिक किसान, जमीन बचाओ खेती बचाओ, रैली में शामिल हुए। डॉ0 बी0डी0 शर्मा, किशोर तिवारी तथा अन्य संगठनों के नेताओं ने रैली को सम्बोधित किया तथा मुख्यमंत्री एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।

जैसा पूरे देश में हो रहा कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसका संबंध नक्सलियों के साथ होने की बात फैलाई जाती है। छिन्दवाड़ा में तो इससे भी आगे जा कर वहां के सांसद, केंद्रीय मंत्री एवं देश के प्रमुख पूंजीपति कमलनाथ ने बाकायदा कैबीनेट में छिन्दवाड़ा को नक्सली घोषित करने की मांग की। इस प्रयास की खबर अखबार में छप जाने के बाद किसान संघर्ष समिति ने किसान महापंचायत कर सरकार को चुनौती देते हुए नक्सली गतिविधियों तथा किसान संघर्ष समिति के नक्सलियों से संबंध के तथ्य उजागर करने अथवा इस्तीफा देने की मांग की तब से अभियान अस्थाई तौर पर रुका हुआ है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन डॉ सुनीलम एवं डॉ आराधना भार्गव के छिन्दवाड़ा जिले में प्रदेश पर रोक लगाने पर भी विचार कर रहा है। किसान संगठनों द्वारा बार–बार अडानी–कमलनाथ के गुण्डों द्वारा हत्या कराने का षड्यंत्र की जाँच करने की मांग की। सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

हमले के विरोध में जनसंगठन लामबंद

पूरे देश में किसानों की भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए औने–पौने दामों पर अधिग्रहित करने का खेल चल रहा है। इस खेल में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सरकार साथ दे रही है और ज्यादती एवं गैरकानूनी प्रक्रियाओं का विरोध कर रही जनता के ऊपर हमला किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में डॉ. सुनीलम् पर हुआ हमला व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि वह गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संघर्षशील जनता के ऊपर हमला है। यह बात विभिन्न जनसंगठनों की ओर से डॉ. सुनीलम् पर हुए हमले के विरोध में शाहजहांनी पार्क में आयोजित धरने कही गयी।

धरने में नामजद हमलावरों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार करने, अदानी समूह के ऊपर हत्या का षड्यंत्र रचने का मुकदमा दर्ज करने, घटना की न्यायिक जांच कराने, पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बिना अदानी समूह द्वारा कराये जा रहे कार्य को तत्काल रोकने एवं अडानी समूह को ताप बिजलीघर बनाने का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई।

डॉ. सुनीलम् भी डॉक्टर से ऑपरेशन से पूर्व कुछ देर के लिए धरने में आने की मोहलत ले कर आये। धरने का आयोजन भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन, एकता परिषद्, मध्यप्रदेश जन संघर्ष मोर्चा सहित कई जनसंगठनों ने किया था। धरने में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने कहा कि वंचितों एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सत्याग्रह एवं आंदोलन से पूरे देश में माहौल बनाया जा सकता है। अलग-अलग जगहों पर चलाए जा रहे आंदोलनों को एक साथ मिलकर संघर्ष करना होगा, तो इससे ज्यादा दबाव बनाया जा सकता है। एकता परिषद के प्रशांत भाई ने कहा कि पूरे देश में किसानों एवं आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है। कृषि भूमि को गैर कृषि एवं वन भूमि को गैर वनीय कार्यों के लिए नियमों एवं कानूनों को ताक पर रखकर हस्तांतरित किया जा रहा है। इससे लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है। सेकुलर मंच के संयोजक एवं वरिष्ठ पत्रकार लज्जाशंकर हरदेनिया ने कहा कि डॉ. सुनीलम् पर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है और इसका व्यापक विरोध किया जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, मध्यप्रदेश की संयोजक सुश्री शुभ्रा पचौरी ने छिंदवाड़ा में अदानी प्रोजेक्ट को लेकर हुए जनसुनवाई का अनुभव बताते हुए कहा कि कंपनी ने इलाके में बड़े पैमाने पर शराब एवं पैसे बांटकर लोगों को तोड़ने की.कोशिश की है।

धरने को सम्बोधित करते हुए डॉ. सुनीलम् ने कहा कि भविष्य में सभी जनसंगठनों को मिलकर संगठित विरोध की रणनीति बनाने की जरूरत है।

हमले के विरोध में डा. सुनीलम का अनशन, डूब क्षेत्र के किसानों का विरोध प्रदर्शन

प्रदेश के विभिन्न जिलों में हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपे गए। जनआंदोलन

मुलताई के नेताओं ने आकर डॉ0 सुनीलम तथा एड0 आराधना भार्गव से मुलाकात की एवं जिलाधीश को ज्ञापन सौपा। जबलपुर से आजादी बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक डॉ0 बनवारी लाल शर्मा, सर्वोदय मंडल के पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ भाई तथा म0प्र0 पत्रकार संगठन के संयोजक एवं संवाद के अध्यक्ष श्री जयंत वर्मा जबलपुर से छिन्दवाडा आकर सुनीलम तथा आराधना भार्गव से मिले। किसान संघर्ष समिति के प्रदेश महामंत्री मनासा के राजेन्द्र पुरोहित, झाबुआ के सपा जिलाअध्यक्ष राजेश बैरागी तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री प्रेमदया पंवार तथा देवास के सपा अध्यक्ष लीलाधर चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी हासिल की। जन आंदोलनों के राष्टीय समन्वयक श्री मधुरेश ने फोन पर बताया कि मुम्बई में गत 4 दिन से अनशन कर मेघापाटकर द्वारा मुख्यमंत्री तथा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया। प्रांतिय पत्रकार परिषद सुनंदा दुबे ने तथा किसान संगठन ने आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। बड़े पैमाने पर छिन्दवाडा जिला न्यायालय के वकील एड0 आराधना भार्गव को देखने अस्पताल पहुंचे।

हमले के विरोध में यादगारे शाहजहानी पार्क में एक दिवसीय धरना

डॉ. सुनीलम् एवं वकील डॉ. आराधना भार्गव पर हुए हमले के विरोध में 27 मई 2011 को यादगारे शाहजहानी पार्क में एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरना निम्न मांगों को लेकर किया गया था–

1. नामजद हमलावरों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफतार किया जाये।
2. अडानी समूह के ऊपर हत्या का षडयंत्र रचने का मुकदमा दर्ज किया जाये।
3. इस घटना की न्यायिक जांच करायी जाये।
4. पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बिना अडानी समूह के द्वारा कराये जा रहे कार्य को तत्काल रोका जाये।
5. अडानी समूह को ताप बिजलीघर बनाने का लाइसेंस रद्द किया जाये।

जन संसद मुलताई का घोषणापत्र

मुलताई में 14 वें शहीद किसान स्मृति सम्मेलन एवं 188 वीं किसान महापंचायत के अवसर पर 12 जनवरी 2012 को आयोजित जनसंसद के 5वें अधिवेशन में देश भर से आये हुये जनान्दोलनों और जन–संगठनों के संघर्षशील समाज कर्मी और बुद्धिजीवी देश पर छाये संकट और सरकारों द्वारा उठाए जनविरोधी कदमों पर घोर चिन्ता प्रकट करते है और नीचे लिखी घोषणाएं करते हैं – .

घोषणा एक : – देश पर इस समय सबसे बडा संकट यह है कि, देश के संसाधनों – मुख्य रूप से जमीन, किसानों के हाथों से छीनी जा रही है और वह बडे–बडे देशी–विदेशी कारपोरेट घरानों के हाथ में जा रही है । सरकार ऐसे कानून बना रही है जो आम जन से संसाधनों को कारपोरेट घरानों को हस्तांतरित करने में सहायक हो रहे हैं । प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम–2011 ऐसा ही कदम है। इसकी प्रस्तावना में सरकार ने घोषित किया है कि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, औद्योगीकरण, शहरीकरण, और अनेक परियोजनाओं के लिये किसानों की जमीन तों लेनी ही है, उन्हे अच्छा मुआवजा दे दिया जायेगा । किसानों से जमीन और उससे जुडे अन्य संसाधन जैसे जल, जंगल, खादान और पहाड को लेने के लिये खेती को घाटे का सौदा बना दिया है । खेती में लागत – खाद बीज कीटनाशक, डीजल आदि कम्पनीयों के हाथ में चले गये है जिनका दाम हर साल बढाया जा रहा है पर उस अनुपात में खेती के उत्पाद का मूल्य नही बढ रहा है और किसान कर्ज में लद गये है । कई लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है । जमीन हडपने की दूसरी साजिश अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। विश्व अर्थव्यवस्था मूलतः सटटेबाजी पर चल रही है । इस तरह से पैदा हुई नकली पूंजी को असली पूंजी बनाने के लिये पूंजीपति तरह–तरह से जमीन खरीद रहे है क्योकि जमीन ही असली पूंजी है। इसलिये जमीन के दाम बढते गये है, जिससे किसानों के मन में जमीन छोडने का लालच पैदा हो जाए ।

जनसंसद यह घोषणा करती है कि जमीन कब्जाने की यह साजिश नही चलने दी जायेगी । जमीन अधिग्रहण रोकने के लिये देश के लगभग सभी प्रदेशों में चल रहे आन्दोलनों के संघर्षशील साथियों को जनसंसद बधाई देता है । ये आन्दोलनों विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) पोस्को जैसी परियोजना, गंगा एक्सप्रेस वे, इण्डस्ट्रीयल कॉरीडार, कोस्टल कॉरीडार, तापबिजली कारखाने, परमाणु बिजली कारखाने और तरह–तरह की खादानों के खिलाफ गांवों के स्त्री–पुरूष बहादुरी के

साथ लड रहे है और नन्दीग्राम, सिन्दूर, हरिपुर, रायगढ, चन्द्रपुर, हजारीबाग, जैसे अनेक स्थानों पर आन्दोलन ने भूमि अधिग्रहण को रोका । जनसंसद से जुडे सभी जनआन्दोलन मिलकर पूरी ताकत लगाऐगें कि, ये आन्दोलन सफल हो और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2011 रदद हो । यदि सरकार जन विरोधी और जन विरोधी कदम उठाना बंद नही करती और दमन का रास्ता अख्तियार करती है। तो जनसंसद देश में सिविल नाफरमानी का आन्दोलन छेडेगी। जनसंसद की यह भी कोशिश होगी कि, संसाधनों पर जन–समुदाय–ग्रामसभा का स्वामित्व और निर्णय करने का अधिकार स्थापित हो।

घोषणा दो : – (खुदरा बाजार के विदेशी पूंजी निवेश) – खेती के बाद देश की बडी आबादी लगभग 25 करोड की आजीविका खुदरा व्यपार से चलती है, अमरीका और यूरोप की कम्पनीयों जैसे वालमार्ट, अमरीका, टैस्को (इंग्लैण्ड) कारफूर ;(फ्रांस) मेट्रोएजी (जर्मनी) और उनकी सरकारों के दबाब में भारत सरकार ने मल्डीब्रॉड रिटेल में 51 प्रतिशत तथा सिंगिल ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश का निर्णय तो लिया फिलहाल संसद और देश भर में विरोध के कारण सरकार ने फैसला टाल दिया लेकिन सरकार इसे लागू करने के लिये कृत संकल्प है । तर्क यह दिया जा रहा है कि किसानों/उत्पादको और उपभोक्ताओं की बीच देशी बिचौलिये लूट करते है । खुदरा व्यपार की बडी कम्पनियों से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा । पर असलियत यह है कि, इस फैसले से छोटे बिचौलियों के स्थान पर बडे कारपोरेट बिचोलियें बैठ जायेगें, जो कालान्तर में उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लूटेगें जैसा कि विदेशों का अनुभव है ।

जनसंसद घोषणा करता है कि, किसानों, छोटे–मझोले व्यापारी और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता अभियान चालू किया जायेगा और सारे जनन्दोलन और संगठन व्यापारियों किसानों और युवाओं के संगठनों के साथ मिल कर विदेशी खुदरा कम्पनियों को कारोबार नही करने देंगे । यह भी कोशिश की जायेगी कि किसानों और अन्य उत्पादकों के अपने बाजार बने, स्टोरेज की सुविधा उनके पास हो और वे अपनी प्रोसेसिंग इकाईयां चलायें ।

घोषणा तीन :– (परमाणु उर्जा) मार्च 2011 में जापन के फूकशिमा में परमाणु प्लांट के भीषण हादसे से पूरी दुनिया हिल गयी और परमाणु उर्जा के विरोध में व्यापक आन्दोलन खडे हो गये। जर्मनी, इटली, स्विटजरलैण्ड जैसे अनेक देशों ने परमाणु प्लॉट बन्द करने का फैसला कर लिया । जापान के 54 रिएक्ट में केवल 11 चल रहे है जिन्हे भी इस

साल बन्द कर दिया जायेगा । फ्रांस से जहां 75 प्रतिशत बिजली उर्जा से बनती है यह मुददा अगले वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव का प्रमुख मुददा बन गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि, भारत की सरकार परमाणु प्लॉट लगाने पर अडी हुई है पर कुडानकुलम ;(तामिलनाडु) जैतापुर (महाराष्ट्र) फतेहबाद (हरियाणा) मीठी बिरदी (गुजरात) पर बडे, विरोध आन्दोलन चल रहे है । जनसंसद देश को परमाणु मुक्त करने की घोषणा करता है और परमाणु प्लॉटो के खिलाफ चल रहे आन्दोलनों को राष्ट्रीय सर्मथन देकर मजबूत बनाने के लिये कदम उठाऐगा ।

घोषणा 4:– जनसंसद 12 जनवरी 1998 को मुलताई के किसान आंदोलन पर पुलिस गोलीचालन के दोषी अधिकारियों पर हत्या के मुकदमें दर्ज करने मुलताई तहसील कार्यालय को स्मारक घोषित करने, किसानों पर लादे गए फर्जी मुकदमें वापस लेने तथा शहीद परिवारों एक आश्रित को स्थाई शासकीय नौकरी देने के लिए किसान संघर्ष समिति द्वारा किए जा रहे संघर्ष को समर्थन का ऐलान करती है । पहले कांग्रेस सरकार तथा अब भाजपा सरकार द्वारा उक्त मुददों पर कारवाई ना किए जाने को जनसंसद दोनों पार्टियों का किसान विरोधी रवैया मानती है । भाजपा सरकार द्वारा छिन्दवाडा में अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट को 52 एकड छोटे झाड का जंगल आवंटित करने, बैतूल मुलताई सहित प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा कार्यालय हेतु करोडों रूपयों की जमीन आवंटित करने देश में 10 हजार हेक्टेयर जमीन किसानों से लेकर कंपनियों के साथ एम.ओ.यू. साइन करने (आवंटित करने) के कदम का जनसंसद विरोध करती है, प्रदेश में किसानों की जमीन की भू–अर्जन की कारवाई के खिलाफ संघर्ष तेज करने का ऐलान करती है ।

घोषणा 5:– प्रदेश सरकार द्वारा गत 2 वर्षो से खेती को लाभकारी बनाने की नारेबाजी की जा रही है । वस्तुस्थिति यह है कि 6 वर्ष पहले डी.ए.पी. खाद की बोरी 366 रू. की मिलती थी, जिसें अब किसानों को 1000 रू. प्रति बोरी, यूरिया खाद की जो बोरी 120 रू. प्रति बोरी उसे 450 रू. प्रति तथा सुपर फास्फेट खाद 75 रू. प्रति बोरी की जगह 300 रू. प्रति बोरी, 31 रू. प्रति लीटर डीजल अब 45 रू. प्रति लीटर की दर पर बाजार से खरीदने के लिए मजबूर होना पड रहा है। बिजली के स्थाई कनेक्शनों का रेट 30 प्रतिशत बढा दिया गया है। दूसरी तरफ गेहूँ का दाम 1250 रू. प्रति क्विटल से घटकर 950 रू. प्रति क्विटल हो गया है। इस तरह किसानी करना पहले से अधिक घाटे का सौदा हो गया है। जिसके चलते प्रदेश में आत्महत्या की घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है । जनसंसद किसानों की आत्महत्या मुक्त भारत के निर्माण हेतु

संकल्प बद्ध है जनसंसद किसानों से अपील करती है कि किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों सरकारो तथा व्यवस्था को बदलने के लिए संगठित होकर संघर्ष को तेज करे।

जनसंसद प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के चलते विगत वर्ष खराब हुई फसलों का फसल बीमा के मुआवजे का भुगतान ना किए जाने को सरकार की बीमा कम्पनीयों के साथ मिली भगत का परिणाम मानती है । सरकार द्वारा दिया जा रहा अनुदान किसानों को होने वाले नुकसान का 10 प्रतिशत भी नही होता। जनसंसद किसानों की प्रति एकड पैदावार के बाजार-दाम से दुगना मुआवजा देने के लिए संघर्ष का एलान करती है ।

सबक और चुनौतियां

अब तक सरकार द्वारा किसानों के नेतृत्व से बातचीत का कोई सिलसिला शुरू नहीं किया गया है। जबकि छिन्दवाड़ा के पड़ोस में मुलताई किसान आंदोलन में 24 किसानों के शहीद हो जाने तथा 250 किसानों को गोली लगने के बाद जब न्यायिक जॉच आयोग ने रिर्पोट सौपी थी तब स्पष्ट तौर पर कहा था कि संवादहीनता के कारण ही गोली चालन की परिस्थिति बनी। लेकिन लगता है म0प्र0 सरकार मुलताई से सबक सीखने को तैयार नहीं है तथा सरकार की मंशा दमन करने की है।

यानी अब किसानों के सामने तीन विकल्प हैं ?किसान न्यायालय का दरवाजा खटखटायें और उम्मीद करें कि जिस तरह दादरी में उच्च न्यायालय ने किसानों की जमीनें वापस करने के निर्देश दिए, वैसे ही निर्देश किसान न्यायालय के माध्यम से हासिल कर सकेंगे। दुसरे विकल्प के तौर पर किसान पर्यावरण मंत्रालय पर दबाव बनाकर किसी भी परिस्थिति में पावर प्लांट बनाने की अनुमति न दें तथा अब तक किए गए निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का निर्देश मंत्री जंयती नटराजन से कराने की कोशिश कर सकते है ?और तीसरा विकल्प है कि वे स्वंय आगे बढ़कर अब तक किए गए निर्माण कार्य को खुद ध्वस्त कर दें और खेती करें।

तीसरे विकल्प में भीषण टकराव की स्थिति बन सकती है। अडानी के गुण्डे या पुलिस किसानों को लाठी या गोली के दम पर रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर किसानों पर फर्जी मुकदमे लगाये जा सकते हैं और अडानी पर मेहरबान हो रहा प्रशासन किसान नेताओं की गिरफ्तारी भी कर सकता है क्योंकि अडानी ने क्षेत्र के सभी दबंग परिवारों और नेताओं को प्रोजेक्ट के ठेकों से जोड़कर उनके आर्थिक स्वार्थ पैदा कर दिए हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत अधिकारी [illegible]

प्रपत्र 3

(नियम 7 देखिये)

कार्यवृत्त पुस्तक

ग्राम सभा का नाम ——— शाहा कौशर

सम्मेलन की तारीख ——— 28/01/2012

सम्मेलन का स्थान ——— प्रा० पा० शाला शाहा

सम्मेलन का समय ——— प्रातः 11 बजे से

उपस्थित सदस्यों की संख्या ——— 57

ग्राम सभा के सदस्य द्वारा गठित विषय	सम्मेलन के कार्यवृत्त
1	02
पू० क्र० 41 पूर्वार्जन के सम्बन्ध में।	आज दिनांक 28/01/2012 को ग्राम सभा शाहा कौशर की ग्राम सभा सुरक्षा एवं पंचायत अधिकारी जनपद सोनभद्र के पत्र क्र० / पं० / 2011 / 124 दिनांक 18-01-2012 के अनुसार ग्राम सभा का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया जो प्राथमिक पाठशाला शाहा में सायंकाल 3 बजे श्रीमती सुनीता देवी की अध्यक्षता में सम्पन्न, अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र, सहायक विकास अधिकारी एवं पंचायत सचिव की उपस्थिति में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित सदस्यों का कोरम पूर्ण पाया जिसमें आज की कार्यवाही श्रीमती आशा सिंह पंचायत सहायक द्वारा अनुसूचित पढ़ा गया निम्नवत है। सचिव श्री केदार प्रसाद ने बताया कि रेनी सीमेन्ट प्रा० लि० ने ग्राम शाहा कौशर एवं अन्य ग्रामों की किसानों की भूमियों का शासन के माध्यम से अधिग्रहण किया गया है। जिसकी सूचना न तो ग्राम पंचायत को दी गई है और न ही प्रभावित कृषकों को, साथ ही न तो पुनर्वास नीति प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई बैठक की गई, और न ही सूचना को एक हिस्सा दिखाई गई है। अतः रेनी सीमेन्ट प्रा० लि० द्वारा किया गया भू अर्जन की प्रक्रिया निरस्त करने की संस्तुति ग्राम सभा।

उक्त प्रस्ताव का सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया एवं निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा [illegible] पू० क्र० 04 बिन्दु क्रमांक 04 जिसमें सीमेन्ट [illegible]

(2)

[illegible] में [illegible] शामिल करने एवं [illegible] के अधिनियमों की [illegible] न्यूनतम 25 लाख [illegible] पर [illegible] करने [illegible] प्रस्ताव पारित [illegible] रेलवे [illegible] पर विचार किए बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया एवं रेलवे [illegible] प्रा० लि० के सदस्यों का उल्लंघन कर शासन के माध्यम से किसानों की भूमियों का अधिग्रहण सम्बन्धी आदेश करा दिया है। जिसका प्रतिवाद के माध्यम से उपस्थित कृषकों द्वारा अधिग्रहण सम्बन्धी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः [illegible] सम्बन्धी बैठक कृषकों के बीच करा [illegible] की कार्यवाही से [illegible] प्रमाण की भूमि एकत्र [illegible] ठगा गया एवं [illegible] अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं [illegible] की होगी।

[illegible]

[illegible]

M. P. Power Trading Co. Ltd.

(A Govt. of M.P. Undertaking)

No.07-11/PC/Pench-Adani/ 354 Jabalpur,dtd. 21-8-10

To

M/s Adani Power Limited,
Adani House, Mitha Khali Six Road,
Navrangpura ,Ahmedabad-380 009
FAX:079 26556600/26557134/77

Sub:- Handing over of site with infrastructure developed by erstwhile MPEB/MPSEB to M/s Adani Power Ltd. for setting up 1320 MW Thermal Power Project at Chousara, Distt. Chhindwara.

Ref:- LoI issued vide No. 07-11/PC-Pench-LoI/41 dtd. 4.2.10

Dear Sirs,

This has reference to the LoI issued on 4.2.10 for transfer/handing over of land admeasuring 299.614 Ha. (290.245 Ha. Private + 9.369 Ha. Govt. land) along with infrastructure thereon presently in possession of MPSEB for setting up of 1320 MW Thermal Power Project at Chousara Village, District Chhindwara. The clause (iii) of LoI provides that the 299.614 Ha land alongwith infrastrudure created thereon presently in possession of MPSEB shall be handed over to APL on payment of the value of above land with infrastructure to MP Tradeco.

The value of the above land including infrastructure has been finalised as Rs.4699.36 Lakh. It is, therefore, requested to make payment of above amount in favour of MPSEB as per details given below, at the earliest so that further action for transfer of land to Adani Power for development of said power project may be initiated

Account Titled as - M.P.S.E.B.
Account No. 10238084589
IFSC code - SBIN0007934
Branch - State Bank of India, Nayagaon Jabalpur

It is also requested that the Power Purchase Agreement (PPA) based on standard bidding document under case-2 prescribed in the guidelines issued by Ministry of Power, Government of India may please be executed at the earliest

Thanking you,

Yours faithfully,

MANAGING DIRECTOR
MP POWER TRADING CO. LTD

Copy to -

(1) The Financial Advisor, MPSEB, Jabalpur
(2) The Executive Director (Civil-P&D), MPPGCL, Jabalpur
He is requested to keep ready all the relevant documents for handing over the aforesaid land alongwith its possession to M/s Adani Power Ltd. on receipt of its cost by MPSEB.
(3) The Director (Finance), MPSEB, Jabalpur
(4) The General Manager (F&A), MP Tradeco, Jabalpur

Shakti Bhawan, Vidyut Nagar, Jabalpur (M.P.) - 482 008
Office : 0761-2660909, 2702900 Fax : 0761-2664749 website : www.mptradeco.com

मध्यप्रदेश के गौरव

कार्य वृत पुस्तक

ग्राम सभा का नाम .....
जनपद पंचायत चौरई, जिला : छिन्दवाड़ा
सम्मिलन की तारीख 3-12-2010
सम्मिलन का स्थान .....

प्रारूप 3 (नियम 7 देखिये)
सम्मिलन का समय ... 11 बजे
उपस्थित सदस्यों की संख्या ... 103

ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	सम्मिलन के कार्य वृत्त
प्रस्ताव क्रमांक - 1 पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत जमीन न देने बाबद	निर्णय - आज दिनांक 3-12-2010 को ग्राम सभा बारहनवाड़ा में ग्राम वासी द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लेते हैं कि पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत मानगोरा में बन रहे बांध का विरोध करते हैं। तथा किसान अपनी जमीन बांध बनाने के लिये नहीं देंगे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित स्वीकृत।

सचिव
ग्राम पंचायत

सरपंच
3-12-2010
ग्राम सभा
ग्राम पंचायत चौरई जि. छिन्दवाड़ा

अनुलग्नक 'ग' देखिए

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

क्रमांक / 23 / आर0टी0(एन) / 2012 छिन्दवाड़ा, दिनांक 09 जनवरी 2012

प्रति,

सहायक लोक सूचना अधिकारी,
जिलाध्यक्ष कार्यालय,
छिन्दवाड़ा

विषय:- सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदाय करने विषयक ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 86/सहा./लोकसूचना अधि./2011/छिन्दवाड़ा, दिनांक 23/12/2011 ।

कृपया अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके अनुसार एड0 आराधना भार्गवनिवासी पुराना डाकखाना छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा द्वारा ग्राम हिवरखेड़ी तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा की 52 एकड़ भूमि छोटे झाड़ के जंगल को आवंटित करने की सम्पूर्ण फाइल की , प्रमाणित प्रतिलिपि सूचना के अधिकार के तहत् चाही गई जानकारी का आवेदन संलग्न कर इस कार्यालय में भेजा गया है ।

2/- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 में लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं बताई गई है एवं लोक प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने कार्यालय के सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमणिकाबद्ध करेगा । इनका विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 के 17 बिन्दुओं में स्पष्ट किया गया है । आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी,कार्यालय में संधारित इन दस्तावेजों से संबंधित नहीं है ।

3/- Shri Pradipta Dutta New Dehli v/s Direcotrrate of Income tax i.p Estate New Delhi appeal No cic/maa/a2006 -0053 decided 20 th September 2006 (Central information commission 2 &Shri A. Santosh Mathew v. department of ernsonnel and training new dhlhi F.no. cic/maa/2006 decided on 11-09-006 central information commission. में केन्द्रीय सूचना आयोग ने अभिनिर्धारित किया है कि सूचना वही दी जा सकती है,जो लिखित में उपलब्ध है । क्यों के रूप में, सवाल पूछना और लोक सूचना अधिकारी के विचार और उन पर टिप्पणी मांगना सूचना के अधिकार में नहीं आता । इसी प्रकार Shri A. Santosh Mathew v/s Department of personnel and training New Dhlhi F.No. cic/ma/2006 decided on 11-09-2006 central information commission. में केन्द्रीय सूचना आयोग ने अभिनिर्धारित किया है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिये बाध्य है,जो उपलब्ध है । नयी सूचनाएं मांग के अनुसार एकत्रित करने के लिये नहीं ।

उपरोक्तानुसार आधार पर आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत् चाही गई जानकारी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक नहीं है । तदनुसार आवेदक को सूचित किया जाकर नियमानुसार अभिस्वीकृति प्राप्त की जावे ।

(डॉ0 श्रीनिवास शर्मा)
अतिरिक्त कलेक्टर,
छिंदवाड़ा

पृष्ठांकन 86 एम/लोकसूचना अधिकारी/2012
छिन्दवाड़ा, दिनांक 11/01/2011

अग्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही पुराना डाकखाना छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा के आवेदन दिनांक 23/12/2011 के संलग्न चाही गई जानकारी संबंधी पुस्तिकाएं प्रेषित है ।

सहायक लोक सूचना अधिकारी

किसान संघर्ष समिति की स्थापना 25 दिसंबर 1997 को मुलताई तहसील में किसानों द्वारा की गयी। फसलें नष्ट होने के कारण मुआवजे, फसल बीमा, तहसील के स्थान पर गांव को इकाई माने जाने के मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 12 जनवरी 1998 को षड्यंत्र पूर्ण पुलिस गोली चालन करवाया गया जिसमें 24 किसान शहीद हुए तथा 150 किसानों को पुलिस की गोली लगी। सरकार ने नरसंहार करने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बजाय डॉ सुनीलम तथा 250 किसानों पर 67 मुकदमें दर्ज किये जो आज भी मुलताई न्यायालय में चल रहे हैं।

किसान संघर्ष समिति द्वारा हर माह की 12 तारीख को किसान महापंचायत आयोजित की जाती है। अब तक 185 किसान महापंचायतें आयोजित की जा चुकी हैं। किसान संघर्ष समिति हर वर्ष शहीदों की स्मृति में शहीद किसान स्मृति सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें देश के कई पूर्व प्रधानमंत्री, सांसद, किसान नेता एवं जनसंगठनों के नेता शिरकत कर चुके हैं। हर वर्ष किसान संघर्ष समिति 12 जनवरी को मुलताई घोषणापत्र सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव के तौर पर जारी करती है जिस पर अगले एक वर्ष किसान संगठन कार्य करता है।

किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय है तथा अब तक प्रदेश के सभी 25 जिलों में 15000 किलोमीटर की तीन बार पदयात्रा तथा देश के 28 राज्यों में एक बार पदयात्रा कर चुकी है। पदयात्रा के मुद्दे थे–

- जनआंदोलनों पर पुलिस गोली चालन पर कानूनी प्रतिबंध लगे।
- किसान परिवार की आय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दस हजार रुपये हो।

किसान संघर्ष समिति राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठनों के राष्ट्रीय समन्वय, जनआंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम), इंसाफ जैसे संगठनों के साथ कार्य करता है। इस समय किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किसानों से दस हजार हेक्टेअर भूमि लेकर कंपनियों को आबंटित किये जाने के खिलाफ प्रदेश स्तर पर संघर्षरत है।

किसान संघर्ष समिति बिजली बिल माफी, कर्ज माफी, इली प्रकोप तथा गेरुआ रोग को प्राकृतिक आपदा में शामिल कराने, मुआवजा तय करने के लिए तहसील की जगह पटवारी हलका इकाई बनवाने, किसानों को चक्रवृद्धि ब्याज की जगह 4 प्रतिशत पर कर्जा दिलाने के लिए सशक्त आंदोलन चलाकर सरकार से मांगें मंगवाने में सफलता हासिल की है। किसान महापंचायत के प्रस्ताव पर संस्थापक अध्यक्ष डॉ सुनीलम दो बार विधानसभा का चुनाव मुलताई विधानसभा क्षेत्र से जीत चुके हैं।

किसान संघर्ष समिति

शहीद किसान स्मृति कुटीर, स्टेशन रोड,
मूलतापी, बैतूल–460661 (मध्य प्रदेश)
फोन : +919425109770
ईमेल : sunilam_swp@yahoo.com